



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

**THIRTEENTH
ANNUAL REPORT
1984-85**

**Block DD-34, Sector-1,
Salt Lake,
Calcutta-700 064**

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

THIRTEENTH
ANNUAL REPORT
1984-85



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

BLOCK DD—34, SECTOR—I
SALT LAKE,
CALCUTTA-700 064

NOVEMBER, 1985

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
BLOCK DD-34, SECTOR-I,
SALT LAKE, CALCUTTA-700 064



Published by Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy
Library Foundation, Block DD-34, Sector I, Salt Lake, Calcutta-700064
and Printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Mohammad Road,
Calcutta-700026, Phone : 46-4541.

**RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
ANNUAL REPORT 1984-85**

CONTENTS

	Pages
Chapter 1 Introduction	1
Chapter 2 Book Assistance	4
Chapter 3 Financial Assistance	9
Chapter 4 Promotional Activities	11
Chapter 5 Administration	15
Chapter 6 Conclusion	20

APPENDICES

I. List of Members of the Foundation	25
II. List of members of the Administrative Committee	29
III. List of the Conveners of the State Library Planning Committees	31
IV. Organisation Chart	37
V. Statement showing the position of assistance during 1984-85	38
VI. Statement of audited accounts for 1984-85	40
VII. Statement of number of libraries assisted at various levels during 1984-85	54
VIII. Statement of number of libraries covered from 1972-73 to 1984-85	56
IX. Chart showing quantum of expenditure under different schemes during 1984-85	58

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
Thirteenth Annual Report
1984-85

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Raja Rammohun Roy Library Foundation is an autonomous organisation established by the Department of Culture, Government of India. It came into existence in 1972 on the occasion of the bicentenary of the birth of Raja Rammohun Roy, the International Book Year and the celebration of Silver Jubilee of India's Independence. The basic objective of the Foundation is to take the library movement to small towns and villages in co-operation with State Governments, Union Territory Administrations and other organisations working in the field with a view to providing reading facilities for all sections of the people. The Foundation is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961.

Constitutionally libraries, and for that matter public libraries in particular, come under the jurisdiction of State Governments. India has 22 states and 9 union territories each different from the other in size, population, percentage of literacy, economic development and socio-cultural environment. Naturally, the extent and quality of library service vary from state to state. Generally speaking, the states which have adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960), Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) are more advanced in library service than others. Some of the small States and Union Territories have also developed good infrastructure of library service. Mention may be made of Assam, Gujarat, Kerala and Pondicherry. While in some parts of the country State

Governments have taken initiative and sponsored libraries, in others library service is provided mainly by voluntary organisations with grants from the Government. Though the ideal situation is full state responsibility for library service, in the present context of resource constraints the provision and extension of library service through voluntary organisations is unavoidable and will continue for an indefinite period of time. Raja Rammohun Roy Library Foundation, with limited resources at its disposal, supports the state efforts by rendering assistance on matching basis under certain schemes. It also gives direct assistance to certain categories of libraries to improve their quality of service. Both the patterns of assistance continued during the year covered by this report.

The Foundation is not merely a financing body for the development of public libraries in the country. It is conscious of its role as a catalytic agent for the qualitative improvement of library services. With this end in view the Foundation carried out certain programmes during the year. It requested the State and Union Territory Governments to undertake survey of public library services on the pattern of the pilot survey sponsored by the Foundation for Karnataka. Another survey was undertaken for Rajasthan through the Centre for Administrative Change, Jaipur, which completed the preliminary work and organised a seminar on Public Library System in Rajasthan in January 1985. In pursuance of a decision of the Foundation, the Governments of Uttar Pradesh and Bihar were moved to adopt library legislation. This is in addition to the initiative taken by the Department of Culture, Government of India, in this regard. The project for drafting the National Policy on Library and Information System was completed, and a summarised Policy Statement was submitted to the Government of India in July 1984. The document has been circulated to a large group of persons including library professionals for debate and discussion. It was discussed in XXX All India Library Conference held under the auspices of Indian Library

Association at Jaipur in January 1985 wherein the Director himself participated with a paper on India's Need for a National Library and Information Policy. The Foundation also took initiative in organising a National Seminar on Bibliographic Control in India in collaboration with the National Library and Central Reference Library with a view to improving bibliographic services in the country. The seminar was held at the National Library, Calcutta in February 1985. The Foundation also supported some state level organisations in holding professional seminars. A project for preparing a Public Library Standard has also been mooted.

A greater role was envisaged for the Foundation during the Seventh Five Year Plan. Exercise has been made to finalise the Seventh Plan programmes with certain new schemes for enlarging the area of its activities. The project for the construction of the Foundation's office building at Salt Lake, Calcutta has reached the final stage. In short, the 13th year of the Foundation was an year of all-round activities and progress.

BOOK ASSISTANCE

Books and readers constitute the two basic elements of library service. The Foundation, therefore, continued the programme of book assistance to be its main programme during the Sixth Plan period. The assistance is rendered under two schemes viz. :

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and reading and visual materials.
2. Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services.

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and visual materials :

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it augments its stock from time to time. But as availability of funds is not keeping up with the increasing price of books, the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, whatever funds are available from different sources are spent primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, continued this major scheme of augmenting the book-stock of libraries.

Assistance under the scheme is given from two sources : matching source and central source. When assistance is rendered from the matching source, the responsibility for selection, purchase and distribution of books is vested in the state authority ; and when assistance is rendered from the central source, the Foundation is responsible for selection and supply of the books.

MATCHING BOOK ASSISTANCE

The State Library Planning Committee or the State Library Committee set up at the instance of the Foundation in each State and Union Territory prepares proposals for assistance under this major scheme. It prepares the list of books and the list of libraries to which the books are to be sent. For this purpose the Foundation has issued detailed guidelines.

Once lists of books and beneficiary libraries are approved by the State Library Committee, steps are taken to purchase and distribute the books. Some States viz., (1) Andhra Pradesh, (2) Assam, (3) Bihar, (4) Gujarat, (5) Karnataka, (6) Kerala, (7) Maharashtra, (8) Mizoram, (9) Orissa, (10) Pondicherry, (11) Punjab, (12) Tamil Nadu, (13) Tripura and (14) Uttar Pradesh continued to assume the responsibility for the purchase and distribution of books. The Foundation, however, has been doing this job for the rest of the States and Union Territories as these are reluctant to do so on the ground that they do not have adequate machinery for placing orders and checking the bills of suppliers. Payment is released by the Foundation on receipt of copies of orders and certified bills from the Conveners of the SLPCs/SLCs in respect of the former group of States. When the Foundation places orders, 75% payment is made to the publishers/suppliers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgement from the recipient libraries.

The matching programme of book assistance has been subdivided into parts keeping in view the organisational pattern of libraries and the level of readership they serve :

- (a) Assistance to State Central Libraries and District Libraries
- and (b) Assistance to Urban and Rural Libraries.

(a) Book assistance to the State Central Libraries and District Libraries :

Almost all the States and Union Territories, have set up State Central Libraries. Delhi is served by the Delhi Public Library.

The State Central Library of Tamil Nadu i.e., Connemara Public Library and M.S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries in some States viz., (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra and (5) Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually Government Libraries. However, Gujarat Vidyapeeth in Gujarat, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are government libraries and some are only government aided. During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 383 District Libraries.

(b) Book assistance to urban and rural libraries :

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the south they are called Branch Libraries, in the west and north Taluka or Tehsil Libraries and in the east Sub-Divisional Libraries. Further below we have Block, Municipal, Town and Rural Libraries. Many of these libraries are run by voluntary organisations, registered or unregistered. For the purpose of giving grants, the libraries are sometimes classified into various groups. Since the aim of the Foundation is to extend library service to small towns and villages, great stress has been laid upon assistance to this group of libraries. During the year the Foundation rendered assistance to about 2000 libraries below the district level. Total book assistance under the matching programme amounted to Rs. 44.20 lakhs.

DIRECT BOOK ASSISTANCE

In addition to matching assistance, the Foundation also gives

direct book assistance out of its own resources to certain categories of libraries in a limited scale. The beneficiary libraries under this programme are (a) Centrally Sponsored Libraries like Nehru Yuvak Kendras, Jawahar Bal Bhavans etc. and (b) State Central Libraries and District Libraries through Central Selection of books, mainly in English.

(a) Assistance to Centrally Sponsored Libraries :

The Central Ministry of Sports since reunified under the Ministry of Human Resource Development. Under its Youth Services Programme has established Nehru Yuvak Kendras in various District headquarters of the country for the welfare of non-student youth between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programmes and to run circulating library services through rural youth clubs. The Foundation supports the library services organised by the Kendras. Similarly the Bal Bhavan Society of India has sponsored Jawahar Bal Bhavans in different parts of the country. The Central Department of Social Welfare also has set up Aurobindo Bal Kendras in big cities for the education of slumdwelling children. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance to 56 Nehru Yuvak Kendras and 22 Bal Bhavans and Bal Kendras.

(b) Assistance to State Central Libraries and District Libraries directly by the Foundation :

Apart from the books, mainly in Indian languages, selected by the respective SLPC/SLC for State Central Libraries and District Libraries, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a limited number of books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries in the country. The administrative Committee of the Foundation has prepared detailed guidelines for selection of

titles submitted by various publishers under this scheme. During the year the Foundation selected 100 titles for State Central Libraries and 61 titles for both State Central and District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. 5.49 lakhs.

2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services :

If the benefits of public library service are to reach the vast number of the less educated and neo-literate persons in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books written in simple language on subjects of popular interest, at their doorsteps. All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one book deposit centre to another with the help of cheap modes of transport or free service of volunteers. Where library service has not reached a rural area, a book depository centre is to be set up in the village and where library coverage has been extended to a village, door to door service is to be organised in co-operation with the voluntary agencies and paid workers engaged in implementing adult education programmes.

Assistance under the scheme is generally given to an institution or a voluntary organisation on a matching basis on the recommendation of the State Government. But the scheme is also operated by many centrally sponsored libraries to which direct assistance is rendered by the Foundation. During the year the Foundation rendered assistance to Visva Bharati University to support their library extension activities in 25 centres.

This scheme is meant for disadvantaged sections of the people living in rural and remote areas where it is difficult to establish and maintain regular libraries.

FINANCIAL ASSISTANCE

There are three schemes under which financial assistance is rendered to the libraries.

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts.
2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions.
3. Assistance towards storage of books.

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts :

The Foundation adopted in 1975-76 this scheme of giving financial assistance to old and well-established libraries of the country for fumigation, lamination, binding, repair and preservation of rare books, journals and manuscripts. Though the Foundation recommends that such rare books and manuscripts should be collected and preserved by some selected libraries having facilities for preservation of such materials, many libraries do not like to part with their treasures. Hence assistance has to be given under the scheme to a large number of public libraries on the recommendation of the state authorities. There is, however, a gradual shrinkage of the scheme as the Department of Culture has adopted an identical programme of assistance. During the year the Foundation rendered financial assistance of Rs. 6,000/- to two libraries. So far the Foundation has covered 439 libraries and spent Rs. 8.61 lakhs for the purpose.

2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions :

The object of the scheme is to give reorientation training to librarians and to promote the use of books and reading habit among the public. Assistance under the scheme is available to the Library Department/Directorate of State, State Central Libraries, Library Associations and Institutions imparting training in Library Science. During 1984-85 the Foudation gave assistance to the Indian Library Association worth Rs. 10,000/- towards the organisation of XXX All India Library Conference at Jaipur in December 1984. Assistance under the scheme was also rendered to some organisations and institutions on the recommendation of the concerned State Governments. The beneficiaries are : (a) Maharashtra Rajya Grandhalaya Samstha Rs. 6000/-, (b) Osmania University—Rs. 5,000/-, (c) Directorate of Public Instruction, Punjab—Rs. 5,000/-, (d) Bengal Library Association Rs. 5,000/-.

Assistance towards storage of books :

This is comparatively a new scheme adopted in 1979-80 to enable small libraries below district level to keep and display increasing number of books received from the Foundation.

Under this scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than 2 almirahs/racks in a year on the recommendation of the State Government. During the year the Foundation sanctioned assistance to 138 numbers of libraries in the states of Kerala, Maharashtra and Orissa.

PROMOTIONAL ACTIVITIES

1. *Celebration of the 212th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and 12th Foundation Day of the Foundation*

The Foundation celebrated the 212th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 12th anniversary of the Foundation on 22 May 1984. On this occasion Shri T. N. Chaturvedi, Comptroller and Auditor General of India delivered the Foundation Day Oration on Raja Rammohun Roy and His Quest for Tolerance and Rationality. Shri Mohan Mukerji, Chairman of the Foundation presided.

2. *National Policy on Library and Information System*

The Foundation finalised the preparation of draft policy statement on National Policy on Library and Information System and submitted it to the Government of India in July 1984. On behalf of the Foundation Shri Mohan Mukerji, Chairman requested that Government of India, Ministry of Education and Culture in the light of the recommendations in the draft statement, (a) considers the views expressed by the 7th Plan Working Group on Library Service and Information, (b) invites the views of State Governments (including U. Ts and of any other national organisation) if Government of India so desires and (c) takes necessary steps for formal adoption of the National Policy, as finally formulated, in the first year of the 7th Plan. The document has been brought out in mimeographed form with the title "National Policy on Library and Information System—A Projection". It is learnt that the Government of India is considering to adopt a

National Policy on Library and Information System on the basis of this draft policy statement prepared by the Foundation.

3. *Seminar on National Bibliographical Control*

A National Seminar on Bibliographic Control in India was held under the joint auspices of National Library, Central Reference Library and Raja Rammohun Roy Library Foundation in Calcutta on February 25-26, 1985. Eminent library scientists, Directors of Public Libraries, some librarians of State Central Libraries, Special Libraries and University Libraries, representatives of book trade, academicians from different parts of the country participated in the seminar. The areas of discussion related to bibliographic control of materials before the production of INB or retrospective National Bibliography, improvement of current National Bibliography or INB, need for bibliographic control of non-book materials, union catalogue of major libraries for research materials, review of Delivery of Books Act, adoption of standard bibliographic description and introduction of computer technology in the production of national bibliography. The most important recommendation of the seminar is to develop a National Bibliographic Centre as the focal point of all bibliographical activities in India.

4. *Public Library Standard in India*

The Foundation decided to undertake a project for the preparation of a Public Library Standard for India. With that end in view a sub-committee consisting of Shri Mohan Mukerji, Shri Girja Kumar, Shri P.K. Patil, Shri Subhas Biswas and Shri B. P. Barua, was set up. The sub-committee held two meetings during the year and finalised a scheme for the preparation of "Guidelines for Public Library Systems and Services in India".

5. *Survey of Public Library Services and Library Legislation*

The Foundation has requested different state and union territory governments to conduct survey of their respective public library service on the model of Pilot Survey of Public Library Services in Karnataka. It also requested some State Governments, Uttar Pradesh and Bihar in particular, to enact library legislation on any model acceptable to them.

6. *Publication Programme*

The Foundation brings out a quarterly Newsletter to give publicity to its activities and to disseminate information on library services in different parts of the country. All the issues were published in time. The publication of the book "Indian Libraries : Trends and Perspectives" reached final stage.

7. *Research and Advisory Functions*

In addition to the preparation of the draft of the National Policy on Library and Information System, Shri B. P. Barua, Director, prepared and presented two important papers during the year :

- (a) India's Need for a National Library and Information Policy—presented in the XXX All India Library Conference held at Jaipur in January 1985.
- (b) National Bibliographic Control : Problems, Perspectives and Needs—presented in the National Seminar on Bibliographic Control held at Calcutta in February 1985.

The Director has also to render advisory or consultancy service to the Department of Culture and different State Governments whenever necessary.

8. *Institutional Membership*

The Foundation continued to be institutional member of (1) Indian Library Association (ILA), (2) Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) and (3) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

9. *Foundation's Library*

The special library on Library and Information Science that started functioning in 1981-82 in the office of the Foundation had a collection of 340 books at the end of the year. It also subscribes 10 Indian journals on Library and Information Science.

10. *Special Assistance*

The Foundation sometimes donate books to reputed public libraries out of its general stock comprising of sample copies of books received in the office for consideration of selection under the central scheme. During the year the Foundation donated 42 titles to the Ballygunge Institute, 295 titles to the Asiatic Society and 125 titles to the Salt Lake City Library.

ADMINISTRATION

1. The Foundation

The Foundation is composed of 22 members headed by the Minister in charge of Department of Culture, Government of India or his/her nominee as its Chairman. The Foundation held two meetings during the year : one on 22 May 1984 and the other on 22 September 1984. Both the meetings were held in Calcutta (For list of members of the Foundation see Appendix I).

2. Administrative Committee

The Foundation's functioning is managed by an Administrative Committee. It consists of 11 members including the ex-officio members viz. Chairman, Financial Adviser, representative of the Department of Culture and the Member-Secretary. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held three meetings during the year on 21 May 1984 and 21 September 1984 at Calcutta and 2 February 1985 at Shastri Bhavan, New Delhi. (For list of members of the Administrative Committee see Appendix II)

3. State Library Planning Committees (SLPCs)/State Library Committees (SLCs)

State Library Planning Committees (SLPCs)/State Library Committees (SLCs) are the principal agencies through which the Foundation collaborates with States and Union Territory Governments. These committees are expected not only to plan the expansion and development of library service in their respective states but also to supervise the implementation of various programmes of assistance adopted by the

Foundation. These are also expected to serve as coordinating bodies of several state departments engaged in the promotion of library services at various levels. The SLPCs/SLCs are supposed to meet at least twice a year. Functions of the SLPCs/SLCs are :

- (a) to prepare a perspective and annual plan of library services, particularly in the non-metropolitan areas of the state with particular reference to the assistance programmes of the Foundation.
- (b) to ensure payment of State Government contribution to and drawal of matching grant from the Foundation.
- (c) to scrutinise and recommend proposals for assistance to the Foundation.
- (d) to select books according to the felt-need of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation.
- (e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation.
- (f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and other cultural activities.
- (g) to perform any other activity conducive to the development of library movement in the State/Union Territory.

(For the list of Conveners of State Library Planning Committees see Appendix III).

4. Chairman

Shri Mohan Mukerji (IAS Retd.), former Chief Secretary and Adviser to the Governor of Rajasthan, continued as the

Chairman of the Foundation till February 1985. On the expiry of his tenure the Chairmanship of the Foundation reverted to the Union Minister of State for Culture, Shri K. P. Singh Deo, in March 1985.

The staff strength excluding a part-time Sweeper was 27. (For Organisation Chart of the Foundation see Appendix IV).

5. Director and Ex-officio Member-Secretary

In pursuance with a decision of the Foundation adopted in its meeting held on 5 October 1983 and the approval of the Government of India, the rules and regulations of the Memorandum of Association were amended to redesignate the executive head of the organisation from Member-Secretary to Director and Ex-officio Member-Secretary. The amendment was formally registered with the Registrar of Assurance Government of West Bengal. The new designation was officially adopted on and from 1st January 1984. Dr. B.P. Barua continued to be the Director and ex-officio Member-Secretary during the year.

6. Other officer and staff

Field Officer—Dr. Pandey S. K. Sharma remained on position till 30 June 1984. Thereafter he joined the University Grants Commission as Librarian on deputation terms for a period of two years. The temporary vacancy was filled by the appointment, on deputation terms, of Shri R. K. Khan, Senior Librarian, NISIET Branch Institute, Guwahati who joined on 24 January 1985. During the intervening period Shri R. Bhattacharjee, Assistant Secretary held the additional charge.

Executive Officer—Shri N. K. Chowdhury reverted to his parent department in May 1984. He was succeeded by Shri P. Palit, Account Officer in the office of the Accountant General, West Bedgal, who joined the Foundation on deputation terms on 23 August 1984.

Assistant Secretary—Shri R. Bhattacharjee continued.

7. Hindi Training Scheme

The Foundation has taken steps to implement the official language implementation programme and to train up the staff under the Hindi Training Scheme, Government of India in Hindi. Two members of the staff completed training during the year under report.

8. Accommodation

The office of the Foundation is located in a rented flat at 110 Jodhpur Park, Calcutta-700 068. The accommodation is not adequate. The Foundation acquired a plot of land measuring 18.06 cottahs (1208 sq. metres) at Salt Lake, Calcutta from the Government of West Bengal. A two-storeyed building with ten-storeyed foundation is being constructed by the M.D. Department, Salt Lake Division, Government of West Bengal. The building is nearing completion.*

9. Inspection

The Foundation has created an Inspection Cell consisting of the Field Officer and one Inspection Assistant. They visited some places and inspected some libraries on random sample basis, in addition to other works in the office. During the year 26 libraries were inspected.

10. Finance

The Foundation is fully financed by the Government of India. During the year the Foundation received grant of Rs. 37.21 lakhs (Rs. 6.21 lakhs under Non-Plan and Rs. 31 lakhs under Plan) from the Government of India. In addition, the Foundation also receives contribution from the States and since completed.

Union Territory Governments. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution received during the year was Rs. 20.41 lakhs (For statement showing position of assistance to various states and union territories see Appendix V).

11. Accounts

The accounts of the Foundation for 1984-85 have been audited by the Director of Audit (Central), Calcutta, and approved by the Foundation in its Annual General Meeting held on 3.9.85. (For statement of audited accounts for 1984-85 see Appendix VI).

CONCLUSION

1. Problems and bottlenecks

The problems and bottlenecks faced by the Foundation in the execution of its programmes are mainly threefold : (a) late submission and non-submission of proposals for assistance by some states, (b) increasing price of books and (c) effects of decentralisation.

In the existing scheme of things the Foundation has to depend on the state government machinery for the implementation of its programmes. Its performance reflects the total performance of the participating states and union territories. Sometimes it fails to achieve the target owing to circumstances beyond its control. During the year under report proposal for assistance from West Bengal was received very late, and Gujarat took a long time to completion the purchase.

The every increasing rise in the price of books and other library materials is adversely affecting the assistance programme of the Foundation. In real terms the quantum of assistance has decreased over the years. The Foundation is being pressed hard by the states to enhance the ceiling of matching assistance (Rs. 2.00 lakhs) so much so that the Government of Orissa unilaterally increased the amount of annual contribution to Rs. 3.00 lakhs. With the limited resources at its disposal the Foundation found it difficult to cope with this demand for more assistance.

The Foundation has adopted a new procedure of decentralised assistance with effect from the year 1982-83. According

to this procedure, the states are no longer required to submit list of books and list of libraries to the Foundation for prior approval with the intention that this would accelerate the utilisation of assistance and minimise delay. The removal of the compulsion of prior approval from the Foundation does not seem to have improved the situation very much. On the other hand, some states are not careful enough in finalising the list of recipient libraries along with the list of books. This has resulted into incomplete compilation of statistics of recipient libraries by the Foundation.

The absence or dearth of officers also had an adverse effect on the total performance of the Foundation. There was a time lag between the departure of one officer and joining of another officer. This is one of the factors for substantial accumulation of outstanding liabilities.

2. Achievements

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1985, the Foundation received total grants and contributions of Rs. 485.22 lakhs out of which Rs. 284.79 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 200.43 lakhs from the states and union territories.

The volume of assistance rendered during the year 1984-85 amounts to Rs. 51.28 lakhs and the grand total of assistance during the last thirteen years is Rs. 417.10 lakhs.

During the year the Foundation assisted 2441 libraries excluding the figures of Andhra Pradesh, Bihar, West Bengal and Mizoram. (See Appendix VII).

Over the last thirteen years the Foundation has covered 18,139 libraries at various levels :

State Libraries	28
District Libraries	386
Sub-Division/Taluka/Tehsil Libraries	466
Nehru Yuvak Kendras	171
Bal Bhavans/Bal Kendras	49
Town and Rural Libraries	16,044
Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres	879
N.S.S. Centres and others	116
Total :	<u>18,139</u>

(For number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1984-85 see Appendix VIII).

On the whole, the 13th year of the Foundation has been a satisfactory year. The volume of assistance maintained a steady level. It is, however, in the wider field of promotion of library movement and towards the formulation of a National Library Policy that the Foundation made a significant contribution.

A P P E N D I C E S

LIST OF MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. Shri Mohan Mukerji (till Feb. '85)
Chairman, RRRLF
'SHYAMOLI'
Bhawani Singh Marg
Jaipur 302015

2. (i) Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan (till Feb. '85)
Additional Secretary to the
Government of India
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan
New Delhi

- (ii) Shri Y. S. Das (From Mar. '85)
Secretary to the Govt. of India
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan
New Delhi

3. Shri Manmohan Singh
Financial Adviser to the
Government of India
(Integrated Finance Division)
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan
New Delhi

4. (i) Prof. C. L. Anand (till Nov. '84)
Joint Educational Adviser
Government of India
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan
New Delhi

- (ii) Shri K. D. Gupta
Joint Secretary
Government of India
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan
New Delhi
5. Shri V. P. Marwah
Joint Secretary to the
Government of India
Ministry of Social Welfare
Shastri Bhavan
New Delhi
6. Shri Krishna Kripalani
Chairman
National Book Trust, India
A-5 Green Park
New Delhi
7. Dr. Surajit C. Sinha
Director
Centre for Studies in Social
Sciences and Research
10 Jadunath Sarkar Road
Calcutta 700029
8. Prof. Indra Nath Choudhuri
Secretary
Sahitya Akademi
Rabindra Bhawan
35 Ferozshah Road
New Delhi 110001
9. Shri A. K. Sen
B-42 Panchsheel Enclave
New Delhi 110017

10. Prof. A. K. Jalaluddin
N.C.E.R.T.
Shri Aurobindo Marg
New Delhi 110016
11. Dr. Ramesh K. Arora
Prof. of Public Admn.
University of Rajasthan
Jaipur 302004
12. Dr. K. M. George
Director and Chief Editor
Comparative Indian Literature
Karimpumanni, Kowdiar
Trivandrum 695003
13. Dr. Suresh Dalal
Director
SNDT Women's University
Deptt. of Post Graduate
Studies and Research
Patkar Hall Bldg., 6th Floor
1 Nathibai Thackersey Road
Bombay 400020
14. Dr. Fahmida Begum
Director
Bureau for Promotion of Urdu
Ministry of Education and Culture
West Block, R. K. Puram
New Delhi 110022
15. Shri Girja Kumar
President
Indian Library Association
A/40-41, Flat No. 201
Ansal Buildings
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi 110009

16. Shri P. V. Krishnamoorthy
234, 20th East Street
Kamaraj Nagar, Tiruvanmiyur
Madras 600041
17. Shri Subhas Biswas
Director
Government of India
Central Secretariat Library
Shastri Bhavan
New Delhi
18. Prof. P. N. Kaula
Dett. of Library and Information Science
University of Lucknow
C-1145 Indira Nagar
Lucknow 16
19. Shri P. K. Patil
Head, Deptt. of Library
Science-cum-University Librarian
Mysore University
Mysore
20. Dr. R.S.P. Singh
Librarian, Sinha Library
Patna 800001
21. Shri T. Ratan
Dy. Chief Librarian
State Central Library
Govt. of Arunachal Pradesh
New Itanagar
Arunachal Pradesh
22. Dr. B. P. Barua
Director, R.R.R.L.F.
Calcutta

MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

1. Shri Mohan Mukhrji (till Feb. '85)
Chairman, RRRLF
'SHYAMOLI'
Bhawani Singh Marg
Jaipur 302015
2. (i) Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan (till Feb. '85)
Additional Secretary to the
Government of India
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan, New Delhi
- (ii) Shri Y. S. Das (From Mar. '85)
Secretary to the Govt. of India
Ministry of Education and Culture
Shastri Bhavan, New Delhi
3. Manmohan Singh
Financial Adviser to the
Government of India
Ministry of Education and Culture
(Integrated Finance Division)
Shastri Bhavan, New Delhi
4. Dr. Ramesh K. Arora
Prof. of Public Admn.
University of Rajasthan, Jaipur 302004
5. Dr. K.M. George
Director & Chief Editor
Comparative Indian Literature
Karimpumannil, Kowdiar
Trivandrum 695003

6. Shri Girja Kumar
President
Indian Library Association
A/40-41, Flat No. 201
Ansal Buildings
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
7. Dr. Suresh Dalal
Director
SNDT Women's University
Deptt. of Post Graduate
Studies & Research
Patkar Hall Bldg., 6th floor
1 Nathibai Thackersey Road
Bombay 400020
8. Shri Subhas Biswas
Director
Central Secretariat Library
Government of India
Shastri Bhavan, New Delhi
9. Prof. P. N. Kaula
Deptt. of Library and Information Science
University of Lucknow
C-1145 Indira Nagar, Lucknow 16
10. Shri P. K. Patil
Head, Deptt, of Library
Science-cum-University
Librarian
Mysore University, Mysore
11. Dr. B. P. Barua
Director
R.R.R.L.F.
Calcutta

**LIST OF THE CONVENERS OF STATE LIBRARY
PLANNING COMMITTEES**

1. **ANDHRA PRADESH**
Director of Public Libraries
Hyderabad
Andhra Pradesh
2. **ASSAM**
Director of Library Services
Gauhati
Aassam
3. **BIHAR**
Superintendent of Libraries
Bihar
Sinha Library Road
Patna 1
4. **GUJARAT**
Curator of Libraries
Gujarat State
Sector No. 21
(Near Gymkhana)
Gandhinagar 382121
5. **HARYANA**
Director of Public Instruction (Colleges)
Chandigarh
6. **HIMACHAL PRADESH**
State Librarian
State Central Library
Solun
Himachal Pradeh

7. JAMMU & KASHMIR
Director of Education
J & K Government
Old Secretariat
Srinagar
8. KARNATAKA
Director of Public Libraries
Seshadri Iyer Memorial Hall
Cubbon Park
Bangalore 560001
9. KERALA
State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum 695001
10. MAHARASHTRA
Director of Libraries
Maharashtra State Town Hall
Bombay
11. MADHYA PRADESH
Director
Tribal & Harijan Welfare Department
Govt. of Madhya Pradesh
Bhopal
12. MANIPUR
Chief Librarian
State Central Library
Manipur
Imphal
13. MEGHALAYA
Director of Public Instruction
Shillong, Meghalaya

14. NAGALAND
Director
Art & Culture
Kohima, Nagaland
15. ORISSA
Deputy Secretary to the
Government of Orissa
Department of Tourism, Sports & Culture
Bhubaneswar
16. PUNJAB
Assistant Director (Cultural Affairs)
Office of the Director of Public Instruction (C)
Punjab, S.C.O. No. 66-67
Chandigarh
17. RAJASTHAN
Deputy Director (Social Education)
Directorate of Primary & Secondary Education
Rajasthan, Bikaner
18. SIKKIM
Officer-on-Special Duty, Cultural Affairs
Community Centre Library
Gangtok 737101
19. TAMIL NADU
Director of Public Libraries
Tamil Nadu, Egmore
Madras 600008
20. TRIPURA
Senior Librarian
Birchandra State Central Library
Government of Tripura
Agartala 799001

21. UTTAR PRADESH
Officer-on-Special Duty (Libraries)
Government of Uttar Pradesh
Department of Education
38 Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annexe
Vidhan Bhavan
Lucknow


22. WEST BENGAL
Director of Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700001

UNION TERRITORIES

1. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair
Andamans
2. ARUNACHAL PRADESH
Deputy Chief Librarian
Central Library
Govt. of Arunachal Pradesh
New Itanagar
Arunachal Pradesh
3. CHANDIGARH
Librarian
T. S. Central State Library
Chandigarh
4. DADRA & NAGAR HAVELI
Head of the Education Department
Office of the Administrator
Dadra & Nagar Haveli
Silvasa
5. DELHI
Director of Education
Delhi Administration
Old Secretariat
Delhi
6. GOA, DAMAN & DIU
Curator
Govt. of Goa, Daman & Diu
Central Library
Panaji, Goa

7. LAKSHADWEEP
Social Welfare Officer
Admn. of the Union Territory of Lakshadweep
Deptt. of Social Welfare & Culture
Kavaratti (Via) H.P.O. Calicut
8. MIZORAM
Deputy Director of Education
Aizawl, Mizoram
9. PONDICHERRY
Director of Education
Pondicherry 605001

ORGANISATION CHART



STATEMENT SHOWING THE POSITION OF ASSISTANCE DURING 1984-85

(Figures in thousand)

Name of the State	Opening Balance	Contribution recd.	Matching Assistance	Total fund available	Assistance rendered	Balance if any	Remarks
Andhra Pradesh	693	200	444	1337	1310	27	
Assam	167	50	50	267	161	106	Proposals not recd.
Bihar	19	200	200	419	372	47	
Gujarat	294	200	200	694	73	621	Bills awaited
Haryana	—	—	—	—	—	—	
Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—	—	
Karnataka	432	—	—	432	177	255	Adequate bills not received
Kerala	742	—	200	942	417*	525	Proposals not recd.
Madhya Pradesh (—)	34	—	—	34	—	(—) 34	Awaiting adjustment
Maharashtra	432	200	200	832	346	486	Bills not received
Manipur	20	10	10	40	20	20	-do-
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	
Nagaland	1	25	63	89	18	71	Bills not received

Orissa	(—)	7	475	943	632	311	Proposals not recd.
Punjab		5	130	265	201	64	
Rajasthan		25	100	225	97	128	Bills not recd.
Sikkim		2	6	14	—	14	Proposals not recd.
Tamil Nadu		336	200	536	367	169	Bills awaited
Tripura		95	—	95	38	57	Sufficient bills not received
Uttar Pradesh		51	200	451	403	48	
West Bengal		245	200	645	179	466	Bills not received
Andaman & Nicobar		20	—	20	10	10	Sufficient bills not received
Arunachal Pradesh		26	10	46	—	46	Bills awaited
Chandigarh		—	—	—	—	—	
Dadra & Nagar Haveli		—	—	—	—	—	
Delhi		—	—	—	—	—	
Goa, Daman & Diu		20	—	20	16	4	
L.M. & A. Islands		—	—	—	—	—	
Mizoram		41	30	101	98	3	
Pondicherry		34	5	44	—	44	Bills awaited
Total	:	3659	2041	8423	4935	3488	

* Matching assistance of Rs. 415 thousand withdrawn as per rules.

Raja Rammohun Roy

(i) Receipts and Payments Accounts

R E C E I P T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Opening Balance :				
Cash in hand		188.25		
Cash at Bank		3,05,201.11	3,05,389.36	
Permanent Advance (Imprest)				500.00
II. Contribution Received from the Governments of :				
1. Andhra Pradesh		2,00,000.00		
2. Arunachal Pradesh		10,000.00		
3. Assam		50,000.00		
4. Bihar		3,00,000.00		
5. Gujarat		2,00,000.00		
6. Manipur		10,000.00		
7. Maharashtra		2,00,000.00		
8. Mizoram		30,000.00		
9. Nagaland		25,000.00		
10. Orissa		4,75,000.00		
11. Pondicherry		5,000.00		
12. Punjab		1,30,000.00		
13. Rajasthan		1,00,000.00		
14. Sikkim		6,000.00		
15. Uttar Pradesh		2,00,000.00		
16. West Bengal		2,00,000.00	20,41,000.00	
III. Grants Received from Govt. of India :				
Non-Plan		6,21,000.00		
Plan		31,00,000.00	37,21,000.00	
IV. Miscellaneous Receipts :				
1. Bank Interest		92,430.79		
C/F.		92,430.79	60,67,889.36	

Library Foundation

for the period from 1.4.84 to 31.3.85

PAYMENTS

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Administration :				
1. Pay & Allowances of staff	4,29,422.65			
Less Recov. IT	5,416.00			
	<u>4,24,006.65</u>			
" " PT	<u>2,536.00</u>	4,21,470.65		
2. Travelling Allowances of Staff		23,709.45		
3. Medical & Other allowances of staff		10,955.25		
4. T.A etc. of non-official members in connection with the meetings of the Foundation, Administrative Committee etc.		54,722.10		
5. Rent of Building		28,368.00		
6. Other Charges		55,323.89		
7. Leave Salary & Pension Contribution		1,655.00		
8. Maintenance of Staff Car		19,302.26		
9. Foundation's Contribution to CPF. Including Interest & Bonus		1,333.06		
10. Payment of Interest & Bonus on G.P.F.		12,942.54		
11. Staff Welfare		6,256.00		
12. Audit Fee		12,595.00		
13. <u>Advances :</u>		4,200.00		
(i) Festival		825.00		
(ii) Bi-Cycle		5,416.00		
14. Deposit of Income Tax		2,536.00	6,61,610.20	
15. Deposit of Professional Tax			<u>6,61,610.20</u>	
C/F.				

R E C E I P T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	92,430.79		60,67,889.36	
2. Sale proceeds		180 00		
3. Refund of T.A. (Staff)		1,716.05		
4. Refund of Leave Salary		74.80		
5. Refund on a/c. Seminar		638.50		
6. Refund on a/c. Storage		1.00		
7. Other Misc. Receipts		1,011.00		
		1,011.00		96,052.14
V. RRRLF (Employees) CPF. Accounts :				
1. Opening Balance :				
Cash in hand		—		
Cash at Bank (Including Investmen)		2,18,928.00		2,18,928.00
		2,18,928.00		
2. Contribution etc. :				
(i) Employees Subscription		5,229.00		
(ii) Refund of Advance		3,914.00		
(iii) Foundation's Contribution to CPF		852.00		
(iv) Foundation's Contribution towards payment of interest & bonus		481.06		
(v) Interest received from bank (Saving Account)		2,312.94		
		2,312.94		12,789.00
C/F.				63,95,658.50

P A Y M E N T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			6,61,610.20	

II. Promotion of Library Services :
(Continuing Scheme)

1. Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials

(i) Strengthening of Dist. and Sub-divisional Libraries 2,77,505.36

(ii) Assistance to Rural Libraries 41,42,117.18

(iii) Assistance to Centrally sponsored Libraries 35,276.18

(iv) Assistance to State and Dist. Libraries through Central Selection of books 5,49,004.42

2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services —

3. Assistance to old and well established libraries towards processing (Cataloguing and Classification) Binding and Preservation of out-of-print books and of rare manuscripts 6,000.00

(New Schemes) :

4. Assistance to libraries towards storage of books 87,400.00

5. Assistance towards organisation of Seminar, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions etc. 31,000.00 51,28,303.14

III. Other Promotional Activities :

1. Meeting 8,291.28

2. Special Library 4,496.30

3. Publications 12,508.69 25,296.27

C/F.

58,15,209.61

R E C E I P T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			63,95,658.50	

VI. RRRLF (Employees) GPF. Account :

1. *Opening Balance :*

Cash in Hand

—

Cash at Bank

—

2. *Subscription etc.*

(i) Employees Subscription

23,468.00

(ii) Refund of Advance

10,961.00

(iii) Payment of Interest and Bonus

12,942.54

(iv) Interest from Bank

104.46

(Saving Account)

47,476.00

GRAND TOTAL

64,43,134.50

P A Y M E N T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			58,15,209.61	
IV. Capital Expenditure :				
1. Furniture and Equipments		—		
2. Construction of Office Building		—		
V. Closing Balance :				
Cash in Hand		362.33		
Cash at Bank (Current A/c.)	3,47,869.56		3,48,231.89	
Permanent Advance (Imprest)			500.00	
VI. RRRLF (Employees) CPF. Account :				
1. Advance to employees			4,450.00	
2. Payment towards final settlement			6,521.00	
3. <i>Closing Balance :</i>				
Cash in Hand		—		
Cash at Bank (including investment)	2,20,746.00		2,20,746.00	
VII. RRRLF (Employees) GPF. Account :				
1. Advance to employees			5,750.00	
2. <i>Closing Balance :</i>				
Cash in Hand		—		
Cash at Bank	41,726.00		41,726.00	
GRAND TOTAL			64,43,134 50	

(ii) *Income and Expenditure Accounts*

EXPENDITURE

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Administration :				
1. Pay and allowances of staff	4,35,250.35			
2. Travelling allowances of staff	21,128.90			
3. Medical and Other allowances of staff	10,955.25			
4. T.A. etc. of the non-official members of the Foundation, Administrative Committee etc.	54,722.10			
5. Rent of Building	28,368.00			
6. Other Charges	59,358.89			
7. Leave Salary and Pension Contribution	1,655.00			
8. Maintenance of Staff Car	19,302.26			
9. Foundation's Contribution to CPF.	852.00			
10. Payment of Interest and Bonus on GPF.	481.06			
11. Payment of Interest and Bouns on CPF.	12,942.54			
12. Staff Welfare	6,256.00			
13. Audit Fee	12,595.00			
			6,63,867.35	
II. Promotion of Library Services :				
<i>(Conttning Schemes)</i>				
Assistance paid by way of purchase and distribution of books (Distt., Rural, Central Selection and Centrally sponsored schemes)	50,03,903.14			
Assistance for organisation of Mobile Library Services	—			
	50,03,903.14			
C/F.				
	50,03,903.14		6,63,867.35	

for the year ending on 31.3.1985

INCOME

		Rs.	P.	Rs.	P.
I. Contribution Received from the Governments :					
(a) State Govt.			20,41,000	00	
(b) Central Govt.	37,21,000.00				
Less fund capitalised for capital expenditure		1,181.30	37,19,818.70		57,60,818.70

C/F.

57,60,818.70

EXPENDITURE

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	50,03,903.14		6,63,867.35	
Less clearance of old liabilities during the year	44,655.03			
	<u>49,59,248.11</u>			
Add outstanding liabilities during the year	80,115.62		50,39,363.73	
Assistance to old and well established libraries towards processing (Cataloguing and Classification), Binding and Preservation of out-of-print books and of rare manuscripts				6,000.00
<i>(New Schemes)</i>				
Assistance to libraries towards storage of books				87,399.00
Assistance towards organ sation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions				30,361.50
III. Other Promotional Activities :				
1. Meeting	8,291.28			
2. Publications	12,508.69		20,799.97	
IV. Excess of Income over Expenditure				6,669.94

GRAND TOTAL

58,54,461.49

I N C O M E

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			57,60,818.70	
II. Miscellaneous Receipts :				
1. Sales proceede			180.00	
2. Interest on Cycle Advance			21.00	
3. Other receipts			1,011.00	
III. Interest received from Bank				
			92,430.79	

GRAND TOTAL

58,54,461.49

(iii) Balance Sheet as on

LIABILITIES

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Capital Fund :				
As per last account	23,38,727.46			
Add excess of Income over expenditure	6,669.94			
	<u>23,45,397.40</u>			
Add fund capitalised	1,181.30		23,46,578-70	
II. Outstanding Liabilities :				
As per last account	2,68,972.61			
Less clearance during the year	44,655.03			
	<u>2,24,317.58</u>			
Add outstanding Liabilities during the year	80,115.62		3,04,433.20	

C/F.

26,51,011.90

31st March 1985

ASSETS

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Furniture and Equipments :				
As per last account	1,44,957.15			
Add during the year	—		1,44,957.15	
II. Land and Building :				
<i>Land</i>				
As per last account	80,768.45			
Add during the year	—		80,768.45	
<i>Building</i>				
As per last account	20,00,300.00			
Add during the year	—		20,00,300.00	
III. Staff Car :				
As per last account	29,111.85			
Add during the year	—		29,111.85	
IV. Special Library :				
As per last account	30,799.26			
Add during the year	5,090.70			
	35,889.96			
	3,909.40		31,980.56	
Less adjusted during the year				
V. Deposits :				
<i>Post and Telegraph Dept.</i>				
As per last account	9,360.00			
Less cleared during the year	720.00		8,640.00	
<i>Land Lord (Rent and Building)</i>				
As per last account	4,500.00			
Add during the year	—		4,500.00	
<i>Caution Money</i>				
As per last account	100.00			
Add during the year	—		100.00	
VI. Advances :				
<i>Festival</i>				
As per last account	1,604.00			
Add during the year	4,200.00			
	5,800.00			
	4,280.00		1,520.00	
Less refund during the year				
			23,01,878.01	

C/F.

LIABILITIES

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			26,51,011.90	
III. Security Deposit :				
As per last account	500.00			
Less refund during the year	—		500.00	
IV. RRRLF (Employees) CPF. Account :				
As per last account	2,18,928.00			
Add during the year	12,789.00			
Less withdrawal during the year	2,31,717.00			
	10,971.00		2,20,746.00	
V. RRRLF (Employees) GPF. Account :				
As per last account	—			
Add during the year	47,476.00			
Less withdrawal during the year	47,476.00			
	5,7500.00		41,726.00	
GRAND TOTAL			29,13,983.90	
Sd/- A. K. Banerjee Accountant	Sd/- P. Palit Executive Officer		Sd/- B. P. Barua Director	

A S S E T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			23,01,878.01	
<i>Bi-Cycle</i>				
As per last account	814.00			
Add during the year	825.00			
	1,639.00			
Less refund during the year	737.00		902.00	
VII. RRRLF (Employees) CPF. Account :				
<i>Closing Balance</i>				
Cash in Hand	—			
Cash at Bank	2,20,746.00		2,20,746.00	
(including investments)				
VIII. RRRLF (Employees) GPF. Account :				
<i>Closing Balance</i>				
Cash in Hand	—			
Cash at Bank	41,726.00		41,726.00	
IX. Closing Balance :				
Cash in Hand	362.33			
Cash at Bank	3,47,869.56		3,48,231.89	
X. Cash balance with Imprest Holder			500.00	
GRAND TOTAL			29,13,983.90	

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and Balance Sheet of Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for the year ending 31st March, 1984. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to observations in the Audit Report appended, I certify, as a result of my audit that in my opinion, these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the State of Affairs of the organisation according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta.

Place : Calcutta

Date : 5.11.85

Sd/- J.S. Mathur
Director of Audit,
Central, Calcutta

STATEMENT OF NUMBER OF LIBRARIES ASSISTED AT VARIOUS LEVELS DURING '84-85

Name of the State	S.C.L.	D.L. & Div.	S.D.L. & Taluka	T.R.L.	B.D.C.	N.Y.K.	J.B.B.	Others	Total
Andhra Pradesh	1	27	—	514	6	14	1	—	563
Assam	1	9	23	65	—	—	1	—	99
Bihar	1	31	*	*	—	—	—	—	32+*
Gujarat	1	18	—	609	—	—	1	—	629
Haryana	1	5	—	—	—	2	2	—	10
Himachal Pradesh	1	11	—	—	—	8	—	—	20
Jammu & Kashmir	1	14	—	—	—	—	1	—	16
Karnataka	1	19	175	171	—	—	2	—	368
Kerala	1	11	—	2	—	—	3	—	17
Madhya Pradesh	1	29	—	—	—	1	—	—	31
Maharashtra	—	39	—	223	—	—	2	—	264
Manipur	1	5	—	28	—	—	—	—	34
Meghalaya	1	2	—	—	—	—	—	—	3
Nagaland	1	—	—	62	—	—	—	—	63

Orissa	1	13	—	300	—	10	1	—	325
Punjab	1	11	—	—	—	10	—	—	22
Rajasthan	1	29	10	—	—	—	—	—	40
Sikkim	—	4	—	—	—	1	—	—	5
Tamil Nadu	—	13	—	100	—	10	3	—	126
Tripura	1	3	—	20	—	—	—	—	24
Uttar Pradesh	1	54	—	86	—	—	2	—	143
West Bengal	1	22	—	*	25	—	1	—	49+*
Andaman and Nicobar	1	—	—	5	—	—	—	—	6
Arunachal Pradesh	1	9	—	—	—	—	—	—	10
Chandigarh	1	—	—	—	—	—	1	—	2
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Delhi	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Goa, Daman & Diu	1	—	3	46	—	—	—	—	50
L.M. & A. Islands	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Mizoram	1	2	—	*	—	—	—	—	3+*
Pondicherry	1	2	—	—	—	—	—	—	3
Total	27	383	211 +	2231	31	56	22	—	2961+*

*No. of libraries covered is not known.

STATEMENT OF NUMBER OF LIBRARIES COVERED FROM 1972-73 TO 1984-85


Name of the State	S.C.L.	D.L. & Div.	S.D.L. & Taluka	T.R.L.	B.D.C.	N.Y.K.	J.B.B.	Others	Total
Andhra Pradesh*	1	27	—	852	620	14	1	—	1,515
Assam	1	10	23	115	—	4	3	—	156
Bihar*	1	31	24	1624	—	13	1	—	1,694
Gujarat	1	18	—	1059	11	5	1	—	1,095
Haryana	1	5	—	44	—	2	6	—	58
Himachal Pradesh	1	11	—	36	—	8	1	—	57
Jammu & Kashmir	1	14	5	2	—	1	1	—	24
Karnataka	1	19	175	1924	—	8	7	—	2,134
Kerala	1	11	—	1072	—	8	4	—	1,096
Madhya Pradesh	1	29	20	2005	—	11	2	—	2,068
Maharashtra	1	39	195	1589	1	2	7	—	1,834
Manipur	1	5	—	72	—	2	—	—	80
Meghalaya	1	2	—	—	—	1	—	—	4
Nagaland	1	—	—	66	—	—	—	—	67
Orissa	1	13	—	974	130	10	2	116	1,246







Punjab	1	11	—	—	—	10	—	—	—	22
Rajasthan	1	29	10	13	—	12	—	—	—	65
Sikkim	—	4	1	—	—	1	—	—	—	6
Tamil Nadu*	—	13	—	1455	—	10	3	—	—	1,481
Tripura**	1	3	10	18	10	2	—	—	—	44
Uttar Pradesh	1	56	—	589	—	28	2	—	—	676
West Bengal*	1	22	—	2295	107	8	6	—	—	2,439
Andaman & Nicobar**	1	—	—	25	—	1	—	—	—	27
Arunachal Pradesh	1	9	—	20	—	2	—	—	—	32
Chandigarh	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Delhi	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3
Goa, Daman & Diu	1	—	3	92	—	1	—	—	—	97
L.M. & A. Islands	1	—	—	10	—	—	—	—	—	11
Mizoram**	1	2	—	41	—	1	—	—	—	45
Pondicherry	1	2	—	51	—	2	1	—	—	57
Total	28	386	466	16,044	879	171	49	116	18,139	

*Figures related upto 1981-82

**Figures related upto 1983-84

CHART SHOWING QUANTUM OF EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS DURING 1984-85



	Administrative Expenditure	(11.42%)
	Other Promotional Activities	(0.38%)
	Book Assistance to Dist. & Sub-div. Libraries under matching schemes	(4.77%)
	Book Assistance under non-matching schemes	(10.05%)
	Financial Grant	(2.13%)
	Book Assistance to Town & Rural Libraries under matching schemes	(71.25%)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिष्ठान

तेरहवाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
1984-85



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

डी० डी० 34, विधान नगर

कलकत्ता-700 064

दिसम्बर 1985

प्रकाशनाधिकार

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

डी० डी० 34, विधान नगर

कलकत्ता-700 064

डा० बी० पी० बरुआ, निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, डी० डी० 34, विधान नगर कलकत्ता द्वारा प्रकाशित तथा मेहता फाईन आर्ट प्रेस, 20, बाल मुकुन्द मक्कर रोड, कलकत्ता-700 007, फोन : 34-1247 द्वारा मुद्रित ।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक प्रतिवेदन

1984-85

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय एक : परिचय	1
अध्याय दो : पुस्तक सहायता	4
अध्याय तीन : वित्तीय सहायता	11
अध्याय चार : प्रोन्नतिकारक गतिविधियां	14
अध्याय पांच : प्रशासन	18
अध्याय छः : उपसंहार	23

परिशिष्ट

1. प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची	27
2. प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची	33
3. राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची	36
4. संगठन चार्ट	43
5. वर्ष 1984-85 के दौरान सहायता की स्थिति का विवरण	44
6. 1984-85 के परिक्षित लेखा का विवरण	46

7. वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न स्तरों पर दी गई पुस्तकालय सहायता का विवरण 61
8. वर्ष 1972-73 से 1984-85 तक अर्द्धादित पुस्तकालय संख्या का विवरण 63
9. वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का अनुपात 65

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

तेरहवाँ वार्षिक विवरण

1984-85

अध्याय-एक

परिचय

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संगठन है। राजा राममोहन राय के जन्म दिवस की द्वितीय शताब्दी, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष और भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के समारोह पर 1972 में इसकी स्थापना हुई। प्रतिष्ठान का मुख्य लक्ष्य पुस्तकालय आन्दोलन को राज्य सरकार, केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य संगठनों के सहयोग से छोटे नगरों और गांवों में ले जाना है, जिससे सभी समुदाय के लोगों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान पंजीकृत है।

संवैधानिक दृष्टि से पुस्तकालय और विशेष कर सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। भारत में 22 राज्य और 5 संघशासित क्षेत्र हैं जो आकार, जनसंख्या, साक्षरता प्रतिशत, आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक वातवरण में हर एक दूसरे से भिन्न हैं। स्वभावतः पुस्तकालय सेवा के विस्तार और प्रकार में प्रत्येक राज्य में अन्तर है।

सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे राज्य जिन्होंने पुस्तकालय विधान स्वीकार कर लिया है, वे पुस्तकालय सेवा में दूसरे राज्य की अपेक्षा आगे हैं, जैसे तमिलनाडु (1948), आन्ध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967) और पश्चिम बंगाल (1979) । कुछ छोटे राज्य और संघ शासित क्षेत्रों ने भी पुस्तकालय सेवा में अच्छी संरचना विकसित कर ली है । ऐसे उल्लेखनीय राज्य हैं असम, गुजरात, केरल और पाण्डिचेरी । जबकि एक और देश के कुछ भागों में राज्य सरकारों ने पहल की और पुस्तकालय प्रायोजित किए, दूसरी ओर प्रमुख रूप से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकारी अनुदान की सहायता से पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान की गईं । यद्यपि आदर्श स्थिति में पुस्तकालय सेवा के लिए राज्य उत्तरदायी हैं, परन्तु श्रोत कठिनाइयों के वर्तमान संदर्भ में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पुस्तकालय सेवा का प्रावधान तथा विस्तार अनिवार्य है, एवं ऐसा अनिश्चित काल तक जारी रहेगा । अपने सीमित श्रोतों के कारण राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कुछ योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के प्रयासों को समतुल्य आधार पर सहायता द्वारा सहयोग देता है । कुछ श्रेणी के पुस्तकालयों को उनकी सेवा में सुधार के लिए यह प्रत्यक्ष सहायता भी देता है । इस वर्ष के दौरान सहायता के दोनों प्रतिभान जारी रहे ।

प्रतिष्ठान मात्र एक आर्थिक निकाय नहीं है जो देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए आर्थिक सहायता दे । वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है कि पुस्तकालय सेवा की स्थिति में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सके । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रख प्रतिष्ठान ने इस वर्ष के दौरान कुछ कार्य किया । प्रतिष्ठान ने राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया कि जिस प्रकार से प्रतिष्ठान ने कर्नाटक में मार्गदर्शी सर्वेक्षण प्रारम्भ किया उसी प्रकार वे पुस्तकालय सेवा का सर्वेक्षण प्रारम्भ करें । प्रशासकिय परिवर्तन केन्द्र जयपुर के माध्यम से प्रतिष्ठान ने राजस्थान के लिए एक अन्य सर्वेक्षण कार्य लिया, इसका प्रारम्भिक कार्य पुरा हो गया है और

जनवरी 1985 में राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति पर एक संगोष्ठी आयोजित की। प्रतिष्ठान के नियम के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों से पुस्तकालय विधान स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ली गयी कार्यवाही के अतिरिक्त यह कार्य किया गया। पुस्तकालय और सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रयोजना का काम पूरा हुआ तथा संक्षिप्त नीति विवरण जुलाई 1984 में भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया। वाद-विवाद और तर्क वितर्क के लिए यह प्रलेख बड़ी संख्या में पुस्तकालय विशेषज्ञों सहित अन्य लोगों में वितरित किया गया। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के तत्वावधान में जनवरी 85 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में इस प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें निदेशक महोदयने स्वयं भाग लिया तथा भारत के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति की आवश्यकता पर प्रपत्र प्रस्तुत किया। देश में संदर्भ ग्रन्थ सूची सेवाओं की प्रोन्नति की दृष्टि से प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के सहयोग से भारत में संदर्भ ग्रन्थ सूची नियंत्रण राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित करने में पहल की। जनवरी 1985 में यह विचार गोष्ठी राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में आयोजित हुई। तकनीकी विचार गोष्ठी आयोजित करने में प्रतिष्ठान ने कुछ राज्य अधिकरण तथा संगठनों की भी सहायता की। सार्वजनिक पुस्तकालय मानक तैयार करने की एक प्रायोजना भी आरम्भ की गई।

सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा और अधिक कार्य करने का निश्चय हुआ। सातवीं योजना के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय अपनी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ाकर कुछ नयी योजनाएँ सम्मिलित की गई। साल्ट लेक, कलकत्ता में प्रतिष्ठान कार्यालय भवन के निर्माण की प्रायोजना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। संक्षिप्त रूप से, प्रतिष्ठान का 13 वाँ वर्ष, सभी दृष्टियों से क्रिया कलाप और प्रगति का वर्ष रहा।

अध्याय-दो

पुस्तक सहायता

पुस्तक एवं पाठक पुस्तकालय सेवा के दो मूल तत्व हैं। अतः प्रतिष्ठान ने छठी योजना के दौरान पुस्तक सहायता कार्यक्रम को अपना मुख्य कार्यक्रम बनाए रखना जारी रखा। सहायता दो योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है ; अर्थात्

1. पुस्तकों तथा पठन एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने में सहायता।
2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए सहायता।

1. पुस्तकों तथा पठन एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने में सहायता :

पुस्तकालय की उत्तमता उसकी संग्रह संख्या तथा पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। पुस्तकालय तभी बढ़ती है जब समय समय पर उसके भण्डार की वृद्धि हो। परन्तु पुस्तकों के बढ़ते मूल्य के बराबर निधि की उपलब्धि न होने के कारण पुस्तकालयों को बढ़ते पाठकों की आवश्यकताएं पूरी करने के

लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तक प्राप्त करने में असुविधा होती है। कुछ राज्यों के अतिरिक्त, वित्त की जो व्यवस्था विभिन्न श्रोतों से हो पाती है वह मुख्यतः कर्मचारी वृन्द के अनुरक्षण में खर्च की जाती है। अतः प्रतिष्ठानने पुस्तकालयों के पुस्तक भण्डार की वृद्धि की मुख्य योजना को जारी रखा। योजना के अन्तर्गत, सहायता दो श्रोतों से दी जाती है; समतुल्य तथा केन्द्रीय श्रोत। जब सहायता समतुल्य श्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन क्रय तथा वितरण का उत्तरदायित्व राज्य प्राधिकारियों का होता है तथा जब सहायता केन्द्रीय श्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन और आपूर्ति का दायित्व प्रतिष्ठान का है।

समतुल्य पुस्तक सहायता

इस वृहद योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में प्रतिष्ठान की प्रेरणा से स्थापित राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा राज्य पुस्तकालय समिति सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। यह समिति पुस्तकों की सूची तथा पुस्तकें भेजे जाने वाले पुस्तकालयों की सूची तैयार करती है। इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जब पुस्तकों की सूची तथा सहायता पाने वाले पुस्तकालयों का अनुमोदन राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा हो जाता है। तब पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के लिए प्रबन्ध किया जाता है। कुछ राज्य जैसे (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) कर्नाटक, (6) केरल, (7) महाराष्ट्र, (8) मिजोराम, (9) उड़ीसा, (10) पाण्डिचेरी, (11) पंजाब, (12) तमिल नाडु, (13) त्रिपुरा एवं (14) उत्तर प्रदेश ने पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के उत्तरदायित्व को जारी रखा। प्रतिष्ठान यह कार्य अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए कर रहा है क्योंकि उनके पास प्राप्तिकर्ता के विपत्रों को जाँचने तथा आदेश देने की उचित

व्यवस्था न होने के कारण वे यह नहीं करना चाहते । प्रथमोक्ति कोटी के राज्यों से सम्बन्धित विपत्रों का भुगतान आदेश की प्रतियों तथा राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों द्वारा प्रमाणित प्राप्ति पर किया जाता है । प्रतिष्ठान द्वारा आदेश दिए जाने पर प्रकाशकों प्रातिकर्ताओं को 75 प्रतिशत का भुगतान पुस्तकें भेजे जाने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर तथा शेष राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों से पावती मिलने पर किया जाता है ।

पुस्तकालयों के संगठित ढाँचे तथा पाठन के स्तर को ध्यान रखते हुए, समतुल्य पुस्तक सहायता कार्यक्रम को निम्नांकित उपभागों में विभाजित किया गया है :—

- (अ) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता एवं
- (ब) नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता ।
- (अ) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता

प्रायः सभी राज्यों और संवशासित क्षेत्रों ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित कर लिए हैं । दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा की जाती है । तमिलनाडु का राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय अर्थात् कान्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी तथा महाराष्ट्र की एम० एस० टाउन हॉल लाइब्रेरी को पुस्तक प्रदान अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त होती है । कतिपय राज्यों, (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) मध्य प्रदेश, (4) महाराष्ट्र तथा (5) राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी है । कुछ राज्यों में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय ही उन जिलों के लिए, जिनमें वे स्थित हैं, जिला पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं । राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय

पुस्तकालय अधिकतर सरकारी पुस्तकालय हैं। तथापि, गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, बिहार में सिन्हा लाइब्रेरी तथा मध्य प्रदेश में मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी जाने माने अपवाद हैं। इसी प्रकार से, कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं तथा कुछ केवल सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा 383 जिला पुस्तकालयों को सहायता दी है।

(ब) नगरीय एवं ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता :—

जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक ढाँचा समस्त राज्यों में समरूप नहीं है। वे बहुधा प्रशासनिक एकाक के अनुरूप नहीं होता। साधारणतः, दक्षिण में इन्हें शाखा पुस्तकालय, पश्चिम में एवं उत्तर में तालुका अथवा तहसील पुस्तकालय तथा पूर्व में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इसके नीचे के स्तर के प्रखण्ड, नगरपालिका, नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय हैं। इनमें से बहुत से पुस्तकालय स्वैच्छिक संगठनों, द्वारा चलाए जाते हैं। अनुदान प्रदान करने के लिए, पुस्तकालय कभी कभी विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं। चूंकि प्रतिष्ठान का लक्ष्य पुस्तकालय सेवा को छोटे नगरों और गाँवों तक पहुँचाना है, इस प्रकार के लघु पुस्तकालयों की सहायता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने जिला स्तर के नीचे प्रायः 2000 पुस्तकालयों को सहायता दी। समतुल्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण पुस्तक सहायता की राशि 44.20 लाख रुपये थी।

प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता

समतुल्य सहायता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने श्रोतों से सीमित पैमाने पर कुछ विशेष कोटि के पुस्तकालयों को प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता भी देता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले पुस्तकालय हैं (अ) केन्द्रीय प्रायोजित पुस्तकालय जैसे नेहरू युवक केन्द्र, जवाहर लाल भवन आदि तथा (ब) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय जिन्हें केन्द्रीय प्रवरण द्वारा अधिकतर अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें दी जाती हैं ।

(अ) केन्द्रीय प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता

केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने अपने युवा सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में 15 से 35 वर्ष की आयु के गैर विद्यार्थी युवकों के कल्याण के लिए नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किये हैं । मनोविनोद गतिविधियों के अतिरिक्त नेहरू युवक केन्द्रों से आशा की जाती है कि वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे तथा ग्रामीण युवा क्लब के माध्यम से चल पुस्तकालय सेवा को चलायेंगे । इस केन्द्रों द्वारा गठित पुस्तकालय सेवाओं को प्रतिष्ठान प्रोत्साहित करता है । इसी प्रकार भारतीय बाल भवन सोसायटी ने देश के विभिन्न भागों में जवाहर बाल भवन प्रायोजित किये । केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने भी गन्दी बस्ती में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिये बड़े शहरों में अरविन्द बाल केन्द्र स्थापित किये हैं । इस योजना के अन्तर्गत, मान्यता प्राप्त अथवा भारत सरकार की संतुती प्राप्त कुछ स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जा सकती है । इस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने 56 नेहरू युवक केन्द्रों तथा 22 बाल भवनों और बाल केन्द्रों को सहायता प्रदान की ।

(ब) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष सहायता

उन पुस्तकों के अतिरिक्त, जो प्रमुखतः भारतीय भाषाओं में हैं तथा जिसका प्रवरण राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय के लिये

विभिन्न राज्यों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा किया गया है, प्रतिष्ठान की प्रशासन समिति देश के राज्य एवं जिला पुस्तकालयों में वितरण के लिये प्रमुखतः सीमित अंग्रेजी पुस्तकों का केन्द्रीय चयन करती है। प्रतिष्ठान की प्रशासन समिति ने इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों के प्रकरण के लिये विस्तृत मार्गदर्शन तैयार किये हैं। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 100 शीर्षकों तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों दोनों के लिए शीर्षकों का चयन किया। इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की मात्रा की राशि 5,59 लाख रुपये थी।

2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्र तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए सहायता

यदि पुस्तकालय सेवाओं को गाँवों और छोटे नगरों में बसने वाले बहुसंख्यक अर्द्ध शिक्षितों और नवसाक्षरों को लाभान्वित करना है तो इस प्रकार के उपाय करने होंगे जिनसे सरल भाषा और शैली में लिखी गई सामान्य विषय अभिरुचि की पुस्तकों को उनके द्वार तक पहुंचाया जा सके। समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुव्यवस्थित पुस्तकालयों तथा ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को इस सेवा के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुस्तक, साइकिलें, रिक्शे बक्सें, थैले आदि के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के सस्ते साधन अथवा निःशुल्क स्वयं सेवकों द्वारा एक वितरण केन्द्र से दूसरे वितरण केन्द्र तक पुस्तकों का आदान प्रदान करते रहेंगे। जिन गाँवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पायी है वहाँ पुस्तक वितरण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। यदि गाँव में इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा पहुंच गई हो तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को

लागू करने में संलग्न वेतन प्राप्त कार्यकर्त्ताओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रत्येक द्वार पर पुस्तकालय सेवा का आयोजन होना है ।

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा पर किसी संगठन को समतुल्य आधार पर सहायता दी जाती है । परन्तु यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित पुस्तकालयों द्वारा भी चलाई जाती है जिन्हें प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष सहायता देती है । वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने इस योजना के तहत 25 केन्द्रों में पुस्तकालय गतिविधियों के प्रसार के लिए विश्व भारती विश्व-विद्यालय को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की ।

यह योजना गाँव तथा सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले समाज के सुविधा हीन वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, जहाँ नियमित और सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा पहुंचाना कठिन है ।

अध्याय—तीन

वित्तीय सहायता

पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देने की तीन योजनाएँ हैं।

1. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा पाण्डुलिपियों की जिल्दबन्दी एवं परिरक्षण के लिए सहायता।
2. पुस्तकालय कर्मशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए सहायता।
3. पुस्तकों के संचयन के लिए सहायता।

1. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दबन्दी एवं परिरक्षण हेतु सहायता :

प्रतिष्ठान ने 1975-76 में इस योजना को अपनाया। इस योजना का लक्ष्य देश के पुराने तथा अच्छे स्थापित पुस्तकालयों को दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों के फ्युमिगेशन, लैमिनेशन, जिल्दबन्दी, मरम्मत एवं परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देना है। प्रतिष्ठान ऐसी दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों को कुछ ऐसे चुने हुए पुस्तकालयों द्वारा संकलित

एवं परिरक्षित करने की अनुशंसा करता है। जिनमें परिरक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध है। फिर भी कुछ पुस्तकालय अपनी संपदा से वंचित नहीं होना चाहते। अतः विभिन्न राज्य अधिकारी की संस्तुती पर इस योजना के अन्तर्गत कई सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता देने की आवश्यकता है। इस योजना में क्रमशः कमी आ रही है क्योंकि संस्कृति विभाग ने सहायता का एक ऐसा ही कार्यक्रम लिया है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने दो पुस्तकालयों को 6000 रुपयों की वित्तीय सहायता दी। अब तक प्रतिष्ठान ने इस योजना के तहत 439 पुस्तकालयों पर 8.61 लाख रुपये खर्च किये हैं।

2. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता :

इस योजना का लक्ष्य पुस्तकाध्यक्षों को पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण देना तथा लोगों में पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाना और उनमें अध्ययन रुचि पैदा करना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पुस्तकालय विभाग, निदेशालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय संघ तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। 1984-85 के दौरान प्रतिष्ठान ने जयपुर में 1984 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के आयोजन के लिए भारतीय पुस्तकालय संघ को 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की। सम्बन्धित राज्य सरकारों की संस्तुती प्राप्त करने पर कुछ संगठनों तथा संस्थाओं को योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई। ऐसे लाभान्वित पुस्तकालय हैं (अ) महाराष्ट्र राज्य ग्रन्थालय संस्था--6000 रुपये, (ब) उसमानिया विश्वविद्यालय--5000 रुपये, (स) सार्वजनिक अनुदेश निदेशालय, पंजाब 5000 रुपये, (द) बंगाल पुस्तकालय संघ--5000 रुपये।

3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता :

तुलनात्मक दृष्टि से यह एक नई योजना है जो 1979-80 में अपनाई गई। योजना का लक्ष्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई, पुस्तकों की बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने तथा प्रदर्शन के लिए सहायता देना है।

राज्य सरकार की संस्तुति प्राप्त करने पर इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों को एक वर्ष में दो अलमारियो/रैकों को खरीदने के लिए प्रतिष्ठान वित्तीय सहायता देता है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों में 138 पुस्तकालयों के लिए सहायता की स्वीकृति दी है।

अध्याय-चार

प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ

1. राजाराम मोहन राय के 212 जन्म जयन्ती समारोह तथा प्रतिष्ठान के बारहवें स्थापना दिवस का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने राजाराम मोहन राय की 212 वीं जन्म जयन्ती समारोह तथा प्रतिष्ठान के बारहवाँ स्थापना दिवस समारोह 22 मई 1984 को मनाया। प्रतिष्ठान स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक श्री टी० एन० चतुर्वेदी ने “राजा राममोहन राय के सहन-शीलता और औचित्य” विषय पर व्याख्यान दिया। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री मोहन मुखर्जी ने समारोह की अध्यक्षता की।

2. पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति :

प्रतिष्ठान ने पुस्तकालय और सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति पर अन्तिम रूप से अपना प्रारूप नीति विवरण तैयार कर लिया तथा उसे जुलाई 1984 में भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रतिष्ठान की ओर से अध्यक्ष श्री मोहन मुखर्जी ने अनुरोध किया कि प्रारूप विवरण की संस्तुति के आधार पर शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार (अ) सातवीं

योजना के कार्यकारी दल द्वारा प्रकट किए पुस्तकालय विज्ञान सेवा एवं सूचना सम्बन्धी विचारों पर मनन करें। (ब) यदि भारत सरकार चाहते, राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए जा सकते हैं। (केन्द्रीय शासित क्षेत्र तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों सहित)। (स) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में अन्तिम रूप से प्रस्तुत राष्ट्रीय नीति के औपचारिकता अंगीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। “पुस्तकालय और सूचना सेवा पर राष्ट्रीय नीति एक प्रायोजन” शीर्षक से मिमियो ग्राफ्ट प्रलेख निकाला गया। यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत इस प्रारूप नीति विवरण के आधार पर पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति को अंगीकार करने का विचार कर रही है।

3. राष्ट्रीय संदर्भ ग्रन्थ सूची नियंत्रण पर संगोष्ठी :

राष्ट्रीय पुस्तकालय, केन्द्र संदर्भ पुस्तकालय और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संदर्भ ग्रन्थ सूची नियंत्रण पर एक संगोष्ठी 25-26 फरवरी, 1985 को कलकत्ता में आयोजित हुई। देश के विभिन्न भागों से ख्याति प्राप्त पुस्तकालय वैज्ञानिक, सार्वजनिक पुस्तकालयों के कुछ निदेशक, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, विशिष्ठ पुस्तकालय एवं विद्यालयों के कुछ पुस्तकालय, पुस्तक व्यापार के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विशारदों ने संगोष्ठी में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची अथवा पूर्व व्यापी राष्ट्रीय ग्रन्थ तैयार करने के पूर्व ग्रन्थ सूची नियंत्रण, वर्तमान राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची अथवा भारतीय राष्ट्र ग्रन्थ सूची में सुधार, अपुस्तकीय सामग्री के ग्रन्थ सूची नियंत्रण की आवश्यकता, शोध सामग्री के लिए मुख्य पुस्तकालयों का यूनीयन कैटलाग, पुस्तक प्रदान अधिनियम की समीक्षा, मानस ग्रन्थ सूची तैयार करने में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। उस संगोष्ठी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुभाव

राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची के केन्द्र के विकास के सम्बन्ध में है जिससे कि भारत में ग्रन्थ-सूचीय क्रियाओं का एक केन्द्र बन सके ।

4. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय मानक—

प्रतिष्ठान ने निर्णय लिया कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय मानक की तैयारी के लिए एक प्रायोजन वह प्रारम्भ करें । इसी उद्देश्य से एक उपसमिति का गठन किया गया जिसमें श्री मोहन मुखर्जी, श्री गिरजा कुमार, श्री पी० के० पाटिल, श्री वी० पी० बरूआ सम्मिलित हैं । वर्ष के दौरान इस उपसमिति की दो बैठकें हुईं और इसमें “भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति तथा सेवा मार्ग दर्शक” की तैयारी के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दिया ।

5. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय विधान का सर्वेक्षण :

प्रतिष्ठान ने विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया कि वे अपनी सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के पायलट सर्वेक्षण प्रतिरूप के आधार पर सर्वेक्षण करें । कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार से यह अनुरोध किया गया कि वे किसी भी प्रतिरूप में, जो उन्हें स्वीकार हो, पुस्तकालय विधान अधिनियम बनाएं ।

6. प्रकाशन कार्यक्रम—

देश के विभिन्न भागों में अपनी गतिविधियों एवं पुस्तकालय सेवाओं की सूचना के प्रसार के लिए प्रतिष्ठान एक त्रैमासिक समाचार पत्र निकालता है । इसके सभी अंक समय पर प्रकाशित हुआ । “भारतीय पुस्तकालय ट्रेंड्स एण्ड स्पेशिफिकेशन” पुस्तक का प्रकाशन अन्तिम स्थिति पर पहुंच गया है ।

7. शोध एवं सलाहकारी कार्य—

पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति पर राष्ट्रीय नीति के प्रारूप की तैयारी के अतिरिक्त, निर्देशक श्री बी० पी० बरुआ ने वर्ष के दौरान दो मुख्य प्रपत्र तैयार एवं प्रस्तुत किए—

(अ) भारत को राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना नीति की आवश्यकता जनवरी 1985 में जयपुर में आयोजित तीसवें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में यह प्रपत्र प्रस्तुत किया गया ।

(ब) राष्ट्रीय संदर्भ ग्रन्थ सूची नियंत्रण समस्याएँ, स्वरूप एवं आवश्यकताएँ फरवरी 1985 में कलकत्ता में संदर्भ ग्रन्थ सूची नियंत्रण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठि में यह प्रपत्र प्रस्तुत किया गया ।

संस्कृति विभाग एवं विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकतानुसार निदेशक स्वयं भी सलाहकारी अथवा परामर्शीय सेवा प्रदान करते हैं ।

8. संस्थागत सदस्यता—

प्रतिष्ठान ने निम्नांकितवीं संस्थागत सदस्यता जारी रखी । (1) भारतीय पुस्तकालय संघ (आई० एल० ए०) (2) विशेष पुस्तकालयों का भारतीय संघ एवं सूचना केन्द्र (आई० ए० एस० एल० आई० सी०) एवं (3) पुस्तकालय संघों एवं संस्थाओं के अन्तराष्ट्रीय महासंघ (आई० एफ० एल० ए०)

9. प्रतिष्ठान का पुस्तकालय—

प्रतिष्ठान के कार्यालय में वर्ष 1981-82 के दौरान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संबंधी एक विशेष पुस्तकालय की स्थापना की गयी थी । प्रतिवेदित वर्ष के अन्त में पुस्तकालय में 340 पुस्तकें थीं । पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की दस भारतीय पत्रिकाएँ प्रतिष्ठान में मंगाई जाती हैं ।

10. विशेष सहायता —

प्रतिष्ठान कभी कभी अपने साधारण भण्डार से केन्द्रीय चयन के अंतर्गत नमूने के प्रति के रूप में कार्यालय में विचाराधीन प्राप्त पुस्तकों को ख्याति प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रदान करता है । प्रतिष्ठान ने 42 पुस्तकें बालीगंज संस्था को, 295 पुस्तकें एशियाटिक सोसाइटी एवं 125 पुस्तकें साल्ट लेक सिटी पुस्तकालय को उपहार स्वरूप दीं ।

अध्याय—पाँच

प्रशासन

1. प्रतिष्ठान :

प्रतिष्ठान में 22 सदस्य सम्मिलित है, इसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग भारत सरकार के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते हैं। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की दो बैठकें आयोजित हुईं। प्रथम बैठक 22 मई 1984 को एवं द्वितीय बैठक 22 सितम्बर 1984 को आयोजित हुई। दोनों बैठकें कलकत्ता में आयोजित हुईं। (प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट I देखें)

2. प्रशासनिक समिति :

प्रतिष्ठान के कार्यों का प्रबन्ध एक प्रशासनिक समिति द्वारा किया जाता है। पदेन सदस्यों, यथा अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि एवं सदस्य सचिव को मिलाकर इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं। प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को देखती है। इसकी तीन बैठकें वर्ष के दौरान हुईं। प्रथम 21 मई 1984 एवं द्वितीय 21 सितम्बर 1984 को कलकत्ता में, तथा तृतीय 2 फरवरी 1985 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में। (प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट II देखिए)

3. राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ (एस० एल० पी० सी० एस०)

राज्य पुस्तकालय समितियाँ (एस० एल० पी० एस०)

राज्य पुस्तकालय योजना समिति (एस० एल० पी० सी० एस०)

राज्य पुस्तकालय समिति (एस० एल० सी० एस०) ऐसे प्रधान अभि-
 करण है जिनके माध्यम से प्रतिष्ठान राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में
 कार्य करता है। ये समितियाँ न केवल सम्बन्धित राज्य में पुस्तकालय
 सेवाओं के प्रचार तथा विकास के लिए योजना बनाती हैं। वरन् इनसे यह
 भी आशा की जाती है कि ये प्रतिष्ठान द्वारा अपनाई गई विभिन्न सहायता
 योजनाओं का कार्यान्वयन तथा निरीक्षण भी करेंगे। इससे यह अपेक्षा भी
 की जाती है कि ये विभिन्न स्तरों में राज्य पुस्तकालय सेवा के विकास में
 योगदान देने वाले अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल रखने वाली निकाय के
 रूप में कार्य करेंगी। राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय
 समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी चाहिए। राज्य पुस्तकालय
 योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं।

- (क) प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों के विशिष्ट संदर्भ में, अपने
 राज्य में, विशेषकर गैर महानगरीय क्षेत्रों में, पुस्तकालय सेवाओं
 की एक वार्षिक एवं परिदृश्य योजना तैयार करना।
- (ख) इस बात को निश्चित करना कि राज्य सरकार के अंशदान का
 प्रतिष्ठान को भुगतान हो जाए और प्रतिष्ठान से समतुल्य अनु-
 दान ले लिया जाए।
- (ग) सहायता प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें प्रतिष्ठान के अनुशंसित
 करना।
- (घ) समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार एवं प्रतिष्ठान द्वारा नियत
 निर्देशों के अनुरूप पुस्तकों का चयन करना।
- (च) प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता राशि के सदुपयोग को निश्चित
 करना।

(छ) सम्मेलनों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर जन सामान्य में पठन शक्ति के विकास का वातावरण तैयार करना ।

(ज) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए अन्य प्रेरक एवं सहायता गतिविधियों को निष्पादित करना ।
(राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों की सूची के लिए परिशिष्ट III देखें)

4. अध्यक्ष—

श्री मोहन मुखर्जी (अवकाश प्राप्त आई० ए० एस०) भूतपूर्व मुख्य सचिव एवं राजस्थान सरकार के सलाहकार फरवरी 1985 तक प्रतिष्ठान में अध्यक्ष के पद पर कार्य करते रहे । उनकी अवधि समाप्त होने पर मार्च 1985 में प्रतिष्ठान की अध्यक्षता केन्द्रीय राज्य संस्कृति मंत्री श्री के० पी० सिंह देव को प्रत्यावर्तित की गई । एक अंशकालिय सफाई वाला के अतिरिक्त प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारियों की संख्या 27 थी ।

(प्रतिष्ठान के संगठन चार्ट के लिए परिशिष्ट IV देखिये)

5. निदेशक एवं पदेन सदस्य—सचिव

5 अक्टूबर 1983 को प्रतिष्ठान की एक बैठक में अनुमोदित निर्णय तथा भारत सरकार के अनुमोदनपरान्त संस्था ज्ञापन के नियम एवं अधिनियम संशोधित किये गए तथा संगठन के मुख्य कार्यपालक का पद सदस्य सचिव से निदेशक तथा पदेन सदस्य सचिव किया गया । यह संशोधन औपचारिक रूप से रजिस्ट्रार आफ एश्योरेन्स के कार्यालय में पंजीकृत किया गया । 1 जनवरी 1984 से नया पद औपचारिक रूप से अपनाया गया । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान डा० बी० पी० बरुआ, निदेशक तथा पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते रहे ।

6. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी—

डा० पाण्डे, एस० के० शर्मा 30 जून 1984 तक क्षेत्रिय अधिकारी पद पर रहे। इसके बाद उन्होंने दो साल की अवधि के लिए प्रति नियुक्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुस्तकाध्यक्ष का पद भार सम्हाला। इस अस्थायी पद पर श्री आर० के० खान, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष, एन० आई० एस० आई० ई० टी० शाखा संस्थान, गौहाटी की प्रतिनियुक्ति शर्त पर नियुक्ति हुई। उन्होंने 24 जनवरी 1985 को कार्यभार सम्हाला। सहायक सचिव श्री आर० भट्टाचार्य ने मध्यावधि के दौरान अतिरिक्त कार्य भार देखा।

कार्यकारी अधिकारी श्री एन० के० चौधरी मई 1984 में अपने पूर्व विभाग में प्रत्यावर्तित हुए। उनके स्थान पर महालेखापाल कार्यालय, पश्चिम बंगाल लेखा अधिकारी श्री पी० पालित ने 23 अगस्त 1984 को प्रतिनियुक्ति शर्त पर कार्यभार सम्हाला।

श्री आर० भट्टाचार्य सहायक सचिव के रूप में काम करते रहे।

7 हिन्दी प्रशिक्षण योजना—

प्रतिष्ठान ने राज्यभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया है। साथ ही भारत सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी हुआ। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के दो कर्मचारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया।

8. कार्यालय भवन—

प्रतिष्ठान का कार्यालय 110 जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700008 में एक किराये के भवन में अवस्थित है। वर्तमान स्थान कार्यालय के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठान ने पश्चिम बंगाल सरकार से साल्ट लेक कलकत्ता में 18.06 कटठा (1208 वर्गमीटर) भूमि प्राप्त कर ली है। इस पर दो

मंजिले भवन का निर्माण इस बात का ध्यान रख कि भविष्य में दस तल्ले का निर्माण किया जा सके, पश्चिम बंगाल सरकार के महानगर विकास विभाग (साल्ट लेक परियोजना) द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है।

9. निरीक्षण—

प्रतिष्ठान ने एक निरीक्षण प्रकोष्ठ प्रारम्भ किया, जिसमें क्षेत्रिय अधिकारी तथा एक निरीक्षण सहायक सम्मिलित है। कार्यालय में अन्य कार्यों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ स्थानों का दौरा किया तथा प्रतिवर्ष के रूप में कुछ पुस्तकालयों का अचानक निरीक्षण किया। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 26 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया गया।

10. प्रतिष्ठान की वित्तीय व्यवस्था—

प्रतिष्ठान की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार करती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 32.61 लाख (6.21 लाख गैर योजना के अन्तर्गत एवं 31 लाख योजना के अन्तर्गत) राशि का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से भी अंशदान प्राप्त किया। यह अंशदान प्रतिष्ठान से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समतुल्य सहायता प्राप्त करने के हेतु दिया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अंशदान की राशि 20.41 लाख रुपये थी। (राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई सहायता के विवरण के लिए परिशिष्ट V देखिए)

11. लेखा—

वर्ष 1984-85 के प्रतिष्ठान के लेखा का परीक्षण महालेखा परीक्षक (केन्द्रीय) कलकत्ता, द्वारा किया गया एवं प्रतिष्ठान ने इसे अपनी 3-9-85 में आयोजित वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया।

(1984-85 के परीक्षित लेखा के विवरण परिशिष्ट VI में देखिए)

अध्याय—छः

उपसंहार

कार्यक्रम के निष्पादन में प्रतिष्ठान द्वारा जिन समस्याओं एवं कठिना-
नाइयों का सामना करना पड़ा उनके मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। (अ) कुछ
राज्यों द्वारा सहायता का प्रस्ताव देर से प्रस्तुत किया जाना और न प्रस्तुत
किया जाना (ब) पुस्तकों के मूल्य का बढ़ना एवं (स) विकेन्द्रीकरण का
प्रभाव ।

अपने कार्यक्रम के परिपालन के लिए वर्तमान व्यवस्था में प्रतिष्ठान
को राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली पर निर्भर होना पड़ता है। प्रतिष्ठान
द्वारा निष्पादित किया गया कार्य एक ऐसा सम्पूर्ण निष्पादन है, जिसके
अन्तर्गत भाग लेने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कार्यों की प्रति-
छवि भी घुलमिलि होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों के कारण जो
इसके नियंत्रण के बाहर होती है प्रतिष्ठान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में
असफल रहता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल से सहायता का
प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त हुआ एवं गुजरात को क्रय के समापन में
काफी समय लगा।

पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकालय सामग्रियों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों ने
प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया वस्तुतः
सहायता की मात्रा पिछले वर्षों घटी है। प्रतिष्ठान पर कई राज्य सरकारों
इस बात का दवाव डाला है कि उनके द्वारा भेजी गयी (2.00 लाख रुपया

की राशि) समतुल्य सहायता को और आगे बढ़ाया जाए । यह दबाव इतना बढ़ गया कि उड़ीसा सरकार ने एक पक्षीय तीन लाख रुपये का वार्षिक अंशदान भेज दिया । अपने सीमित श्रोतों के कारण प्रतिष्ठान को अधिक सहायता की इस तरह की मांग को पूरा करने में कठिनाई होती है ।

वर्ष 1982-83 से प्रतिष्ठान ने विकेन्द्रीत सहायता की नयी पद्धति को अपनाया है । इस पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को पुस्तकों एवं पुस्तकालयों की सूची अनुमोदन के लिए प्रतिष्ठान को भेजने की भी आवश्यकता नहीं । इसका उद्देश्य यह है कि सहायता के उपयोग में शीघ्रता लायी जा सके और इस प्रकार समय बचाया जा सके । पूर्वानुमोदन की पद्धति की बाध्यता को हटायें जाने के पश्चात भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है । कुछ राज्य पुस्तकों एवं पुस्तकालयों की सूची को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में अधिक असावधान हो गए हैं । इसके परिणाम स्वरूप अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों के आंकड़े रखना प्रतिष्ठान के लिए कठिन हो गया है और आंकड़े अपूर्ण रह गए हैं ।

अधिकारियों की अनुपस्थिति या अभाव का भी प्रतिष्ठान के पूर्ण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा । एक अधिकारी के जाने और दूसरे अधिकारी के आने के बीच काफी समय लगा । बकाया काम के जमने का यह एक बड़ा कारण है ।

उपलब्धियाँ—

विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक दबावों के बावजूद भी प्रतिष्ठान देश में पुस्तकालय सेवाओं को विमसित करने में आगे बढ़ा है । अपने प्रतिस्थापना वर्ष 1972 से लेकर मार्च 1984 तक प्रतिष्ठान ने कुल 485.22 लाख रुपये प्राप्त किये, जिसमें 284.79 लाख रुपये भारत सरकार से तथा शेष राशि 200.43 लाख रुपये विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त किये गये ।

वर्ष 1984-85 के दौरान सहायता की राशि 51.28 लाख रुपये हैं एवं पिछले तेरह वर्षों के दौरान सहायतार्थ दी गयी कुल राशि 417.10 लाख रुपये हुई।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 2441 पुस्तकालयों को सहायता दी, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम सम्मिलित नहीं हैं। (परिशिष्ट VII देखे)

पिछले तेरह वर्षों की अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के 18139 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की।

राज्य पुस्तकालय	28
जिला पुस्तकालय	386
अनुमण्डलीय/ताल्लुक/तहसील पुस्तकालय	466
नेहरू युवक केन्द्र	171
बाल भवन/बालकेन्द्र	49
शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	16044
चल पुस्तकालय/ग्रामीण पुस्तक संचलन केन्द्र	879
एन० एस० एस० केन्द्र तथा अन्यान्य	116

कुल योग—18139

(वर्ष 1972-73 से 1984-85 तक विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की संख्या के लिए परिशिष्ट VIII देखिये)

कुल मिलाकर, प्रतिष्ठान का तेरहवां वर्ष एक संतोषप्रद वर्ष रहा। सहायता की मात्रा नियमित स्तर पर बनी रही। पुस्तकालय गतिशीलता की प्रोन्नति के विस्तृत क्षेत्र में एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को रूप देने हेतु प्रतिष्ठान ने उल्लेखनीय कार्य किया।

परिशिष्ट

प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची

1. श्री मोहन मुखर्जी (फरवरी 85 तक)

अध्यक्ष

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

“श्यामोली”

भवानी सिंह मार्ग

जयपुर—302015

2. I. डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन

अपर सचिव (फरवरी 85 तक)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,

भारत सरकार, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली ।

II. श्री वाई० एस० दास (मार्च 85 से)

सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,

भारत सरकार, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली ।

3. वित्त सलाहकार (संकलित वित्त प्रभाग)
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

4. I. अध्यापक, सी. एल. आनन्द (नवम्बर 84 तक)
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

II. श्री के. डी. गुप्ता, (दिसम्बर 84 से)
संयुक्त सचिव,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

5. श्री वी० पी० मारवाह,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

6. श्री कृष्ण कृपलानी,
अध्यक्ष
राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, भारत
ए—5 ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली ।

7. डा. सुरजीत सी. सिन्हा
निदेशक,
समाज विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र,
10 जदुनाथ सरकार रोड,
कलकत्ता-700 029
8. प्रध्यापक इन्द्र नाथ चौधरी,
सचिव
साहित्य अकादमी,
रवीन्द्र भवन,
35 फिरोजशाह मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
9. श्री ए. के. सेन,
बी-42 पंचशील एन क्लेब
नई दिल्ली-110 016
10. प्रध्यापक ए. के. जलालुद्दीन,
एन. सी. ई. आर. टी.,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110 016
11. डा. रमेश के. अरोरा,
प्रध्यापक, सार्वजनिक प्रशासन,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर-302 004

12. डा. के. एम. जार्ज,
निदेशक और मुख्य सम्पादक,
तुलनात्मक भारतीय साहित्य,
करिम पुमानिल, कौदिआर,
त्रिवेन्दम-695 003

13. डा. सुरेश दलाल,
निदेशक,
एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग,
पटकार हाल भवन, छटी मंजिल,
1 नथी बाई ठाकेरसी रोड,
बम्बई-400 020

14. डा. फमीदा बेगम, निदेशक,
शिक्षा और उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
पश्चिम ब्लाक, आर. के. पूरम,
नई दिल्ली-110 022

15. श्री गिरजा कुमार, अध्यक्ष,
भारतीय पुस्तकालय संघ,
ए/40-41, फ्लैट संख्या 201,
अन्सल भवन, डा. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110 009.

16. श्री पी. व्ही. कृष्णमूर्ति,
234, 20 वीं पूर्वी पथ,
कामराज नगर,
तिरुवनमियर,
मद्रास-600 041.
17. श्री सुभाष विश्वास,
निदेशक,
केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
18. प्राध्यापक पी. एन. कौल
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय,
सी- 1145 इन्द्रनगर,
लखनऊ-16
19. श्री पी. के. पाटिल,
अध्यक्ष,
पुस्तकालय विज्ञान विभाग एवं
विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मैसूर

20. डा. आर. एस. पी. सिंह
पुस्तकालयाध्यक्ष
सिन्हा पुस्तकालय,
पटना-800 001.
21. श्री टी. रतन,
उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय
अरुणाचल प्रदेश सरकार
नया इटानगर,
अरुणाचल प्रदेश ।
22. डा. बी. पी. बरुआ,
निदेशक,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता-700064.

प्रशासन समिति के सदस्य

1. श्री मोहन मुखर्जी (फरवरी 85 तक)

अध्यक्ष,

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,

“श्यामोली”

भवानी सिंह मार्ग,

जयपुर-302 015.

2. I. डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन, (फरवरी 85 तक)

अपर सचिव,

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,

भारत सरकार, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110 001

II श्री वाई. एस. दास (मार्च 85 से)

सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली

3. वित्त सलाहकार,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
(संकलित वित्त प्रभाग)
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
4. डा. रमेश के. अरोरा,
प्राध्यापक,
सार्वजनिक प्रशासन,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर-302 004.
5. डा. के. एम. जार्ज,
निदेशक एवं मुख्य संपादक
तुलनात्मक भारतीय साहित्य,
करिमपुरमानिल, केडियार,
त्रिवेन्द्रम-695 003.
6. श्री गिरजा कुमार
अध्यक्ष
भारतीय पुस्तकालय संघ,
ए/40-41, फ्लैट संख्या 201,
अन्सल भवन,
डा. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110 009.

7. डा. सुरेश दलाल,
निदेशक
एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग
पटकार हाल भवन, छठी मंजिल,
1 नथी बाईं ठाकेरसी रोड
बम्बई-400 020.
8. श्री सुभाष विश्वास,
निदेशक
केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-1
9. प्राध्यापक पी. एन. कौल,
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
सी-1145 इन्द्रा नगर
लखनऊ-16.
10. श्री पी. के. पाटिल,
अध्यक्ष,
पुस्तकालय विज्ञान विभाग, एवं
विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
मैसूर विश्वविद्यालय,
मैसूर-1
11. डा. बी. पी. बरुआ,
निदेशक
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता-1

राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के
संयोजकों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश
निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश
2. असम
निदेशक, पुस्तकालय सेवा,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गौहाटी, असम
3. बिहार
पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार
सिन्हा पुस्तकालय मार्ग,
पटना-800 001
4. गुजरात
पुस्तकालय क्यूरेटर,
गुजरात राज्य,
सेक्टर संख्या 21,
गाँधीनगर-382 121

5. हरियाणा

निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश
महाविद्यालय, चण्डीगढ़ ।

6. हिमाचल प्रदेश

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

7. जम्मू एवं कश्मीर

शिक्षा निदेशक
जम्मू एवं काश्मीर सरकार
पुराना सचिवालय,
श्रीनगर ।

8. कर्नाटक

निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
शेषाद्रि अयर स्मारक भवन,
कबन पार्क,
बंगलोर-560001

9. केरल

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-695001

10. महाराष्ट्र

निदेशक, पुस्तकालय निदेशालय,
महाराष्ट्र राज्य नगर भवन,
बम्बई ।

11. मध्यप्रदेश

निदेशक,

आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग,

मध्य प्रदेश सरकार,

भोपाल ।

12. मणिपुर

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, मणिपुर,

इम्फाल ।

13. मेघालय

निदेशक,

सार्वजनिक अनुदेश,

शिलांग,

मेघालय ।

14 नागालैंड

निदेशक,

कला एवं संस्कृति,

कोहिमा, नागालैंड ।

15. उड़ीसा

उप-सचिव, उड़ीसा सरकार,

पर्यटन, खेलकूद एवं संस्कृति विभाग,

भुवनेश्वर ।

16 पंजाब

सहायक निदेशक (सांस्कृतिक कार्य)
कार्यालय निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश
पंजाब, एस. सी. ओ. संख्या 66.67
चण्डीगढ़ ।

17. राजस्थान

उपनिदेशक (सामायिक शिक्षा)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान, बीकानेर ।

18. सिक्किम

विशेष कार्य अधिकारी,
सांस्कृतिक कार्य,
समुदाय केन्द्र पुस्तकालय,
गैंगटाक-737101

19. तमिलनाडु

निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय,
तमिलनाडु, एग्मोर,
मद्रास-600008

20. त्रिपुरा

वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष,
बीरचन्द्र राज्य केन्द्र पुस्तकालय,
त्रिपुरा सरकार,
अगरतला-799001

21. उत्तर प्रदेश
विशेषाधिकारी, (पुस्तकालय)
उत्तर प्रदेश सरकार,
शिक्षा विभाग,
38 दरबारी लाल शर्मा मार्ग
सचिवालय, विधान भवन,
लखनऊ ।

22. पश्चिम बंगाल
निदेशक,
पुस्तकालय सेवा,
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग,
कलकत्ता-700001



केन्द्रशासित क्षेत्र

1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
निदेशक शिक्षा,
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर,
अण्डमान ।

2. अरुणाचल प्रदेश
उपमुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय पुस्तकालय,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
नया इटानगर,
अरुणाचल प्रदेश ।

3. चण्डीगढ़

पुस्तकालयाध्यक्ष,

टी. एस. केन्द्र राज्य पुस्तकालय,

चण्डीगढ़ ।

4. दादरा एवं नगर हवेली

शिक्षा विभागाध्यक्ष

प्रशासन कार्यालय,

दादरा एवं नगर हवेली,

सिलवासा ।

5. दिल्ली

शिक्षा निदेशक,

दिल्ली प्रशासन,

पुराना सचिवालय,

दिल्ली ।

6. गोवा दमन एवं दीव

संग्रहालय क्यूरेटर,

गोवा दमन एवं दीव सरकार,

केन्द्र पुस्तकालय,

पाण्जी, गोवा ।

7 लक्षद्वीप

सामाज कल्याण अधिकारी,
संघ राज्य प्रशासन लक्षद्वीप,
समाज कल्याण एवं संस्कृति विभाग
कारवती (वाया) एच. पी. ओ.,
कालीकट ।


8. मिजोराम

उप निदेशक, शिक्षा विभाग
एजोल मिजोराम ।

9. पाण्डिचेरी,

शिक्षा निदेशक,
पाण्डिचेरी-605001

संगठन चार्ट



1984-85 के दौरान दी गई सहायता का विवरण

राज्य का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अंशदान	समतुल्य सहायता	कुल उपलब्ध निधि	दी गई सहायता	बकाया यदि हो	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	693	200	444	1337	1310	27	—
असम	167	50	50	267	161	106	प्रस्ताव नहीं मिले
बिहार	19	200	200	419	372	47	—
गुजरात	294	200	200	694	73	621	विपत्र प्रतीक्षित
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	432	—	—	—	—	—	—
केरल	742	—	200	432	177	255	पर्याप्त विपत्र अप्राप्य ।
मध्य प्रदेश (-)	34	—	—(-)	942	417*	525	प्रस्ताव नहीं मिले
महाराष्ट्र	432	200	200	34	—(-)	34	प्रतिक्षित समायोजन
मणिपुर	20	10	10	832	346	486	विपत्र नहीं मिले
मेघालय	—	—	—	40	20	20	विपत्र नहीं मिले
नागालैंड	1	25	63	—	—	—	—
उड़ीसा (-)	7	475	475	89	18	71	विपत्र नहीं मिले ।
				943	632	311	प्रस्ताव नहीं मिले

पंजाब	5	130	130	265	201	64	—
राजस्थान	25	100	100	225	97	128	विपत्र नहीं मिले।
सिक्किम	2	6	6	14	—	14	प्रस्ताव नहीं मिले।
तमिलनाडु	336	—	200	536	367	169	विपत्र प्रतिक्षित
त्रिपुरा	95	—	—	95	38	57	यथेष्ट विपत्र नहीं मिले।
उत्तर प्रदेश	51	200	200	451	403	48	—
पश्चिम बंगाल	245	200	200	645	179	466	विपत्र नहीं मिले।
अण्डमान एवं निकोबार	20	—	—	20	10	10	यथेष्ट विपत्र नहीं मिले।
अरुणाचल प्रदेश	26	10	10	46	—	46	विपत्र प्रतिक्षित
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
दादरा एवं नगर	—	—	—	—	—	—	—
हवेली	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमन एवं दीव	20	—	—	20	16	4	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	41	30	30	101	98	3	—
पाण्डिचेरी	34	5	5	44	—	44	विपत्र प्रतिक्षित
कुल	3659	2041	2723	8423	4935	3488	

* नियम के अनुसार निकाली गयी 415 हजार रूपयों की समतुल्य सहायता

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
1-4-84 से 31-3-85 तक की अवधि का आय एवं व्यय लेखा

आय

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रारम्भिक शेष :						
हाथ रोकड़	188.25					
बैंक रोकड़	3,05,201.11		3,05,389.36			
स्थायी अग्रिम			500.00			
II. राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान						
1. आन्ध्र प्रदेश	2,00,000.00					
2. अरुणाचल प्रदेश	10,000.00					
3. असम	50,000.00					
4. बिहार	2,00,000.00					
5. गुजरात	2,00,000.00					
6. मणिपुर	10,000.00					
7. महाराष्ट्र	2,00,000.00					
8. मिजोरम	30,000.00					
9. नागालैंड	25,000.00					
10. उड़ीसा	4,75,000.00					
1. प्रशासन :						
कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता—			4,29,422.65			
आय कर जमा			5,416.00			
			<u>4,24,006.65</u>			
व्यवसायिक कर जमा			2,536.00			
			<u>4,21,470.65</u>			
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता						23,709.45
3. कर्मचारियों के चिकित्सा एवं अन्य भत्ते						10,955.25
4. प्रतिष्ठान प्रशासनिक समिति की बैठकों से सम्बन्धित गैर कार्यालय सदस्यों का यात्रा भत्ता						54,722.10
5. भवन का किराया						28,368.00
6. अन्य शुल्क						55,323.89

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
11. पाण्डिचेरी	5,000.00			
12. पंजाब	1,30,000.00			
13. राजस्थान	1,00,000.00			
14. सिक्किम	6,000.00			
15. उत्तर प्रदेश	2,00,000.00			
16. पश्चिम बंगाल	2,00,000.00	20,41,000.00		

III. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

गैर योजना	6,21,000.00
योजना	31,00,000.00
	<u>37,21,000.00</u>

IV विविध प्राप्तियां :

1. बैंक ब्याज	99,430.79
2. विक्रय से प्राप्त	180.00
3. यात्रा भत्ता की वापसी (कर्मचारी)	716.05
4. अवकाश वेतन की वापसी	74.80
5. सेमिनार खाते पर वापसी	638.50
6. संचय खाते पर वापसी	1.00
7. अन्य विविध प्राप्तियां	<u>1,011.00</u>

व्यय

7. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	1,655.00
8. कर्मचारी वाहन एवं रख रखाव	19,302.26
9. ब्याज एवं बोनस सहित भविष्य निधि को प्रतिष्ठान का अंशदान	1,333.06
10. भविष्य निधि पर ब्याज एवं बोनस का भूगतान	12,942.54
11. कर्मचारी कल्याण	6,256.00
12. लेखा परीक्षा शुल्क	12,595.00
13. अग्रिम : (I) त्योहार (II) साईकिल	4,200.00 825.00
14. आय कर जमा	5,416.00
15. व्यवसायिक कर जमा	2,536.00
	<u>6,61,610.20</u>

96,052.14

₹० पै० ₹० पै०

₹० पै० ₹० पै०

राजा राममोहन राय
पुस्तकालय (कर्मचारी)
अंशदायी

भविष्य निधि लेखा :

1. प्रारम्भिक शेष :

हाथ रोकड़
बैंक रोकड़

(पूंजी लागत सम्मिलित)

2,18,928.00 2,18,928.00

48

2. अंशदान इत्यादि

I. कर्मचारियों द्वारा

अभिदान

5,229.00

II. अग्रिम की वापसी

3,914.00

III. अंशदायी भविष्य

नीधि में

प्रतिष्ठान का अंशदान

852.00

ब्याज एवं बोनस पर

481.06

प्रतिष्ठान का अंशदान

बैंक से प्राप्त ब्याज

2,312.94

(बचत खाता)

12,789.00

2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र

तथा चल पुस्तकालयों के

विक्रम हेतु सहायता

5,49,004.42

II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार
(श्रविच्छिन योजनाएँ)

1. पठनीय पुस्तकों एवं दृष्टिक

समग्रियों का पत्राप्त भण्डार

बनाने हेतु सहायता

I. जिला एवं उपमंडलीय पुस्त-

कालयों का सुदृढीकरण 2,77,505.36

II. ग्रामीण पुस्तकालयों को

सहायता

41,42,117.18

III. केन्द्र पोषित पुस्तकालयों

को सहायता

35,276.18

IV, पुस्तकों के केन्द्रीय चयन

द्वारा राज्य एवं जिला

पुस्तकालयों को

सहायता

2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र

तथा चल पुस्तकालयों के

विक्रम हेतु सहायता

रु० पै० रु० पै०

IV. पूंजीगत खर्च

1. उपस्कर एवं असबाब —
2. कार्यालय भवन का निर्माण —

V. अंत शेष

हाथ रोकड़
बैंक रोकड़
(चालू लेखा)
स्थायी अग्रिम

362.33
3,47,869.56 3,48,231.89
500.00

VI राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी भविष्य निधि लेखा)

1. कर्मचारियों को अग्रिम
2. अंतरिम व्यवस्थापन के लिए भुगतान

4,450.00
6,521.00

आय

₹० पै० ₹० पै०

व्यय

₹० पै० ₹० पै०

3. अंत शेष :

हाथ रोकड़
बैंक रोकड़
(लागत सहित)

2,20,746.00

2,20,746.00

VII राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी) अंशदान
भविष्य निधि लेखा
1. कर्मचारियों को अग्रिम
अंत शेष

5,750.00

हाथ रोकड़
बैंक रोकड़

41,726.00

41,726.00

कुल योग =

64,43,134.50

कुल योग-

64,43,134.50

व्यय

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
10. अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज एवं बोनस का भुगतान	481.06					180.00
11. अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज एवं बोनस का भुगतान	12,942.54					21.00
12. कर्मचारी कल्याण	6,256.00					
13. लेखा परीक्षा शुल्क	12,595.00		6,63,867.35			1,011.00
II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार (जारी योजनाएं)						
पुस्तक क्रय एवं वितरण के माध्यम से (जिला ग्रामीण, केन्द्रीय चयन एवं केन्द्र पोषित योज- नाओं) पुस्तकालय को सहायता चल पुस्तकालय सेवाओं के आयोजन हेतु सहायता	50,03,903.14					92,430.79
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की निकासी को घटाये	44,655.03					
	<u>49,59,248.11</u>					

रु० पै० रु० पै०

वर्ष के दौरान अन्य देयताओं को जोड़ो
80,115.62
 50,39,363.73

पुराने तथा भलीभांति व्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया (सूचीकरण तथा बर्गीकरण) सहायता तथा अप्राप्य पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्दबाजी तथा परिरक्षण के लिए सहायता

6,000.00

(नई योजनाएँ)

पुस्तकालयों को पुस्तक संचयन हेतु सहायता संगोष्ठियों, कार्यशालाओं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता

87,399,00

30,361.50

आय

व्यय

रु०
रु०
पै०
पै०

रु०
रु०
पै०
पै०

III. अन्य प्रोत्सर्ति क्रियाएँ :

1. बैठक

8,291.28

2. प्रकाशन

12,508.69

20,799.97

व्यय से अधिक आय

6,669.94

कुल योग

58,54,461.49

कुल योग 58,54,461.49

31-3-85 की अवधि तक का तुलन पत्र

देयताएँ

परिसम्पत्तियाँ

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
I						
पूँजीगत निधि :						
पिछले लेखानुसार	23,38,727.46				1,44,957.15	
आय से अधिक व्यय जोड़े	6,669.94				—	1,44,957.15
	<u>23,45,397.40</u>					
पूँजीगत निधि जोड़े	<u>1,181.30</u>		<u>23,46,578.70</u>		<u>80,76 .45</u>	<u>80,768.45</u>
II						
बकाया देयताएँ						
पिछले लेखानुसार	2,68,972.61				20,00,300.00	
वर्ष के दौरान वापस की गयी राशि घटायें	44,655.03				—	20,00,300.00
	<u>2,24,317.58</u>				<u>29,111.85</u>	<u>29,111.85</u>
वर्ष के दौरान बकाया देयता को जोड़े	<u>80,115.62</u>		<u>3,04,433.20</u>		<u>30,779.26</u>	<u>5,090.70</u>
					<u>35,889.96</u>	
					<u>3,909.40</u>	<u>31,980.56</u>

	₹	₹	₹
साईकिल			
पिछले लेखानुसार		814.00	
वर्ष के दौरान जोड़े		825.00	
		<u>1,639.00</u>	
वर्ष के दौरान वापसी को घटायें		737.00	902.00

VII. राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान कर्म-
चारी अंशदायी भविष्य
निधि लेखा :
अत शेष :
हाथ रोकड़
बैंक रोकड़
(लागत सहित)

2,20,746.00 2,20,746.00

VIII राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
अंशदायी भविष्य निधि
लेखा

देयताएं

परिसम्पत्तियां

	₹	₹	₹	₹
	₹	₹	₹	₹
अंतः शेष हाथ रोकड़ बैंक रोकड़			₹	₹
			<u>41,726.00</u>	41,726 00
IX अंतः शेष हाथ रोकड़ बैंक रोकड़			362.33	
			<u>3,47,869.56</u>	3,48,231.89
X अग्रदाय के पास नगदी रोकड़				500.00

कुलयोग 29,13,983.90

कुलयोग 29,13,983.90

ह०/ए० के० बनर्जी
लेखापाल

ह०/ पी० पालित
कार्यकारी अधिकारी

ह०/ वी० पी० बरुआ
निदेशक

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के राजा राममोहन राय लाईब्रेरी फाउन्डेशन के लेखाओं और तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और अपनी परीक्षा के परिणाम स्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार मैं लिखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और राजा राममोहन राय लाईब्रेरी फाउन्डेशन के कार्यालय का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : कलकत्ता

दिनांक : 5 नवम्बर, 1985.

(ह० / जे० एस० माथुर)

निदेशक लेखा-परीक्षा

वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न स्तरों पर दी गई पुस्तकालय सहायता का विवरण

राज्यों के नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला एवं मण्डलीय	उपमंडलीय एवं तालुकी	शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संचय केंद्र	सिखे युवा केंद्र	जवाहर बाल भवन	अन्य	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश	1	27	23	65	2	14	1	—	43+
असम	1	9	23	65	—	—	1	—	99
बिहार	1	31	2	2	—	—	—	—	32+
गुजरात	1	18	—	609	—	—	1	—	629
हरियाणा	1	5	—	—	—	2	2	—	10
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	—	—	8	—	—	20
जम्मू एवं कश्मीर	1	14	—	—	—	—	1	—	16
कर्नाटक	1	19	175	171	—	—	2	—	368
केरल	1	11	—	2	—	—	3	—	17
मध्य प्रदेश	1	29	—	—	—	1	—	—	31
महाराष्ट्र	—	39	—	223	—	—	2	—	264
मणिपुर	1	5	—	28	—	—	—	—	34

वर्ष 1972-73 से 1984-85 तक आच्छादित पुस्तकालय संख्या का विवरण

राज्य का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला एवं मण्डलीय	उपमंडलीय एवं तालुका	शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संवयन केन्द्र	नैतिक शिक्षा केन्द्र	जवाहर वाचन भवन	अन्य	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश *	1	27	—	852	620	14	1	—	1,515
असम	1	10	23	115	—	4	3	—	156
बिहार *	1	31	24	1624	—	13	1	—	1,694
गुजरात	1	18	—	1059	11	5	1	—	1,095
हरियाणा	1	5	—	44	—	2	6	—	58
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	36	—	8	1	—	57
जम्मू एवं कश्मीर	1	14	5	2	—	1	1	—	24
कर्नाटक	1	19	175	1924	—	8	7	—	2,134
केरल	1	11	—	1072	—	8	4	—	1,096
मध्य प्रदेश	1	29	20	2005	—	11	2	—	2,068
महाराष्ट्र	1	39	195	1589	1	2	7	—	1,834


मरिणपुर	1	5	72	—	—	2	—	—	—	80
मेघालय	1	2	—	—	1	—	—	—	—	4
नागालैंड	1	—	66	—	—	—	—	—	—	67
उड़ीसा	1	13	974	—	130	10	2	116	1,246	
पंजाब	1	11	—	—	—	10	—	—	22	
राजस्थान	1	29	13	10	—	12	—	—	65	
सिक्किम	—	4	—	1	—	1	—	—	6	
तमिलनाडु *	—	13	1455	—	—	10	3	—	1,481	
त्रिपुरा **	1	3	18	10	10	2	—	—	44	
उत्तर प्रदेश	1	56	589	—	—	28	2	—	676	
पश्चिम बंगाल *	1	22	2295	—	107	8	6	—	2,439	
अण्डमान एवं निकोबार**	1	—	25	—	—	1	—	—	27	
अरुणाचल प्रदेश	1	9	20	—	—	2	—	—	32	
चंडीगढ़	1	—	—	—	—	1	1	—	3	
दादरा एवं नगर हवेली	1	1	—	—	—	1	—	—	3	
दिल्ली	—	—	1	—	—	2	—	—	3	
गोवा, दमन एवं दीव	1	—	92	3	—	1	—	—	97	
लक्षद्वीप	1	—	10	—	—	—	—	—	11	
मिजोरम **	1	2	41	—	—	1	—	—	45	
पाण्डिचेरी	1	2	51	—	—	2	1	—	57	
कुल योग	28	386	16,044	466	879	171	49	116	18,139	

* अंको का सम्बन्ध वर्ष 1981-82 तक ही है।

** अंको का सम्बन्ध वर्ष 1983-84 तक ही है।

वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई


राशि का अनुपात






अन्य प्रोन्नति क्रियायें

(0.38%)




प्रशासनिक व्यय

(11.42%)




समतुल्य सहायता के अन्तर्गत जिला एवं
उपमण्डलीय पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता (4.77%)




वित्तीय अनुदान

(2.13%)



गैर समतुल्य योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तक
सहायता (10.05%)



समतुल्य सहायता के अन्तर्गत शहरी एवं
ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता (71.25%)

